नवम्बर 2017

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
गोपाल भार्गव
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

प्रबंध सम्पादक
शमीम उद्दीन

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बंडा, जिला सागर में आयोजित अंत्योदय मेले में विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

इस अंक में...

दिल से : मुख्यमंत्री ने 'दिल से' कार्यक्रम में जनता से किया सीधा संवाद 5

विशेष : नीदरलैण्ड में आर्गेनिक खेती, अर्बन फार्मिंग और डेयरी उद्योगों की नई... 8

प्रशिक्षण : राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण का अभिनव अभियान 11

विशेष : राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण रणनीति एवं क्रियान्वयन 14

खास खबरें : पंच परमेश्वर पोर्टल और पंच परमेश्वर एप बनाने में देश का पहला ... 20

ग्राम पंचायत विकास योजना : आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की आधारभूत पहल 22

आजीविका : एक लाख तिरासी हजार चार सौ सात स्व-सहायता समूहों.. 26

खास खबरें : 'सुरक्षा छतरी मध्यप्रदेश' दूसरे राज्यों में भी हो रही लोकप्रिय 27

योजना : मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोर्टल - पारदर्शी समयबद्ध कार्यप्रणाली 28

विभागीय गतिविधियां : अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा... 32

पंचायत गजट : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण 33

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का सितम्बर और अक्टूबर माह का संयुक्तांक मिला। इस बार का अंक स्वच्छता पर केन्द्रित कर बनाया गया है। स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। मध्यप्रदेश में स्वच्छता की दिशा में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी गाँवों और शहरों को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया है। स्वच्छता अभियान में हम सभी नागरिक अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यदि हम सब अपने घर और आसपास की जगह को स्वच्छ रखें तो स्वच्छ भारत का सपना जल्द ही सच हो जायेगा।

- हरिशंकर रजक
सागर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का स्वच्छता ही सेवा पर केन्द्रित अंक पढ़ा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में मध्यप्रदेश उल्लेखनीय योगदान कर रहा है। मध्यप्रदेश के शहर ही नहीं, बल्कि गाँव भी स्वच्छता को अपना रहे हैं। प्रदेश के कई ब्लॉक और ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हुई हैं। यह सब जनजागरूकता के कारण हो पाया है। स्वच्छता अभियान की गतिविधियों की जानकारी को प्रकाशित कर मध्यप्रदेश पंचायिका ने इसका प्रचार-प्रसार किया है। इसके लिए पंचायिका की टीम अभिनंदन की पात्र है।

- अनीता जैन
मैहर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का सितम्बर और अक्टूबर माह का अंक पढ़ा। स्वच्छता ही सेवा पर केन्द्रित इस अंक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न परिपत्रों और आदेशों का प्रकाशन किया गया है। ये आदेश और परिपत्र पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणजनों के मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, साथ ही इसके प्रकाशन से आमजन को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की जानकारी मिलती है। इसके जरिए कई जरूरतमंद लोग शासकीय योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

- अनूप राठौर
बड़वानी (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ा। पंचायिका पत्रिका में पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित शासन के विभिन्न विभागों के विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी भी प्रकाशित की जाती है, जो सराहनीय प्रयास है। ये सफल गाथा में आमजन को शासन की योजनाओं के द्वारा अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है।

- विजय देशमुख
भोपाल (म.प्र.)

अपने लोगों द्वारा अपने लोगों के मकान

प्रिय पाठकगण,

मध्यप्रदेश का कोई भी निवासी आवासहीन नहीं रहेगा, यह घोषणा है मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रत्येक निर्धन और जरूरतमंद को 2022 तक आवास उपलब्ध कराने की घोषणा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। प्रदेश में इन दोनों ही घोषणाओं और आवास योजना पर तेजी से अमल किया गया है। प्रदेश सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सबको आवास मुहैया कराने के लिए मध्यप्रदेश में 11 लाख 78 हजार आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है। इतने व्यापक स्तर पर आवास निर्माण के लिए उसी अनुपात में कारीगरों की भी जरूरत है। इसी आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश में राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण की योजना बनाई गयी। इसमें यह तय किया गया कि इसमें कोई बाहरी संस्था शामिल नहीं होगी, बल्कि स्थानीय मटेरियल, स्थानीय कारीगर और स्थानीय तंत्र मिलकर मकान बनाएगा। इसका लाभ यह होगा कि स्थानीय व्यक्तियों और साधन के जुड़ जाने और सही तकनीकी मार्गदर्शन से मकानों की गुणवत्ता और मजबूती बेहतर होगी।

यद्यपि राजमिस्त्री काम जानते हैं। फिर भी उस काम को तकनीकी जानकारी के साथ स्वरूप देने की आवश्यकता है। मानक स्वरूप से बने हुए मकानों में निखार आएगा, गुणवत्ता बढ़ेगी। यह प्रशिक्षण प्रदेश के सभी 51 जिलों के 313 विकासखण्डों में चरणबद्ध लक्ष्य के साथ पूर्ण किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद की परीक्षा मानक स्तर की होगी और प्रदेश के राजमिस्त्री कुशल राजमिस्त्री कहलायेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का शासकीय अमला इस प्रशिक्षण को समय पर बेहतर स्वरूप में पूर्ण करने में लगा है।

हम सभी जानते हैं भारत गांव में बसा है। गांव से ही हमारी कई आवश्यकताओं जैसे अनाज, फल-फूल, सब्जी आदि की पूर्ति होती है। यदि गांव का व्यक्ति अभाव में रहेगा, कुण्ठा में रहेगा तो देश प्रभावित होगा। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्राथमिकता के साथ ग्रामीणजनों की सुख-सुविधा और संतोष को ध्यान में रखकर यह आवास योजना घोषित की है।

अब यह मात्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारी-कर्मचारी की ही नहीं, बल्कि एक-एक नागरिक की जिम्मेदारी हैं कि काम की गुणवत्ता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की भावनाओं के अनुरूप यह योजना समय पर पूर्ण हो, ताकि मध्यप्रदेश सबसे आगे स्थान प्राप्त करे।

भविष्य में यह संवाद निरन्तर रहेगा। पंचायिका में प्रकाशित योजनाओं का लाभ अवश्य लें।

शुभकामनाओं सहित।

(गोपाल भार्गव)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

संचालक की कलम से

गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण का लक्ष्य

प्रिय पाठको,

आवास व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश वासियों की जरूरत के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है, जिसमें वर्ष 2022 तक देश के हर गरीब को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ऐसे व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है जो कि सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सूची में सम्मिलित हैं एवं उनके पास एक कमरा कच्चा/दो कमरा कच्चा अथवा कोई मकान नहीं है।

योजनांतर्गत मध्यप्रदेश में इस वर्ष 31 मार्च 2018 तक 8.37 लाख आवास निर्माण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की आवश्यकता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर राजमिस्त्रियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है एवं प्रदेश के सभी जिलों और सभी विकासखण्डों में यह प्रशिक्षण महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण संस्थान, जबलपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण के पहले चरण में डिमांस्ट्रेटर को प्रशिक्षित किया जा रहा है जो राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रत्येक जनपद पंचायत से 07 डिमांस्ट्रेटर को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो लगभग 10955 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करेंगे। 45 दिन के प्रशिक्षण के दौरान राजमिस्त्रियों को आवास निर्माण के सभी पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है, जिसका मूल्यांकन और प्रमाणीकरण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद्, नई दिल्ली द्वारा किया जावेगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता पूर्ण आवास निर्माण बनाये जाने की आवश्यकता का ध्यान रखा जा रहा है। राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण से आजीविका के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

पंचायिका के इस अंक में राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण की जानकारी और सफलता की कहानियों को आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। इसके अलावा 'दिल से' में मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर हुई बात को प्रकाशित किया गया है। विगत 29 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक विभागीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अपने दल के साथ नीदरलैण्ड अध्ययन यात्रा पर गये थे, वहां उन्होंने आर्गेनिक खेती, अर्बन फार्मिंग और डेयरी उद्योग की नई तकनीकी जानी जिसे हम आपसे साझा कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों को "आदर्श ग्राम पंचायत" के रूप में विकसित करने और ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया को सरल तथा आसान बनाने के लिए इंदौर जिले की पांच पंचायतों में पायलेट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इसकी रिपोर्ट के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने की प्रक्रिया को हम आपसे साझा कर रहे हैं। अन्य खास खबरों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश प्रकाशित किये जा रहे हैं। उम्मीद है यह आपके लिए उपयोगी होंगे।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(शमीम उद्दीन)
संचालक, पंचायत राज

- **वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को मिलेगी छत।**
- **गरीबों को योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए बनाया जाएगा गरीब कल्याण पोर्टल।**
- **युवाओं के कौशल उन्नयन और स्वरोजगार के लिए बनाया जायेगा युवा सक्तिकरण मिशन।**
- **गंभीर रोगों की पहचान के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर।**
- **तीन वर्षों में सहरिया, भारिया और बैगा जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता से मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास।**
- **मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार और राज्य बीमारी सहायता योजना होगी ऑनलाइन।**

मुख्यमंत्री ने 'दिल से' कार्यक्रम में जनता से किया सीधा संवाद

गरीब कल्याण योजनाओं का पोर्टल बनेगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिये एकीकृत गरीब कल्याण पोर्टल बनेगा। युवाओं के कौशल उन्नयन और स्वरोजगार पर फोकस के लिये युवा शक्तिकरण मिशन बनेगा। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार और राज्य बीमारी सहायता योजना के आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी। गंभीर रोगों की पहचान के लिये शिविर लगेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा भू-अधिकार अभियान की जमीनी हकीकत की समीक्षा की जायेगी। मासूम बच्चियों के साथ दुराचार करने वाले नर पिशाचों को मृत्यु दंड देने जन सुरक्षा विधेयक पारित करवा कर केन्द्र सरकार से राज्य सरकार अनुरोध करेगी। अगले वर्ष से शराब के अहातों की व्यवस्था समाप्त होगी। चरण पादुका योजना का क्रियान्वयन जनवरी से शुरू हो जायेगा। सहरिया, भारिया, और बैगा परिवारों को आगामी तीन वर्षों में प्रधानमंत्री आवास प्राथमिकता के साथ दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 'दिल से' कार्यक्रम में प्रदेश की जनता के साथ रेडियो के माध्यम से सीधा संवाद करते हुए ये घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार गरीब की हर जरूरत पूरा करेगी। गरीब के पैरों में कांटा भी नहीं लगने पाये, इस भाव से सरकार जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। राज्य सरकार गरीबों की मूलभूत आवश्यकता की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। गरीब कल्याण वर्ष के अंतर्गत गरीब कल्याण एजेंडा बनाकर प्रयासों को नई दिशा और गति दी गई है। उन्होंने समाज और स्वैच्छिक संगठनों का आह्वान किया कि वे सरकार के प्रयासों में सहयोग के लिये आगे आयें। उन्होंने कहा कि आनंदम् केन्द्रों में ऊनी वस्त्रों का दान प्राप्त करने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि गरीबों के लिये अधिक से अधिक ऊनी वस्त्र दान करें। उन्होंने अन्याय, शोषण मुक्त और सदाचारी समाज के निर्माण के लिये सभी वर्गों के सहयोग की जरूरत भी बतायी।

श्री चौहान ने खेती को लाभकारी बनाने के लिये किये जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुये कहा कि भावांतर भुगतान योजना पर संशय निर्मूल है। इस योजना को फसल का वाज़िब मूल्य दिलाने का पहला सफल प्रयोग बताते हुए उन्होंने कहा कि योजना में फसलों के समर्थन मूल्य और तीन राज्यों के बिक्री मूल्यों का औसत मॉडल रेट का भावांतर किसानों को मिल रहा है। गत 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य फसल विक्रय करने वाले योजना में पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में 20 नवम्बर तक भावांतर की राशि

पहुँचायी जायेगी। सोयाबीन के लिये 470 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द के लिये 2400 रुपये प्रति क्विंटल, मूँग के लिये 1455 रुपये प्रति क्विंटल, मूँगफली के लिये 730 रुपये प्रति क्विंटल, मक्के के लिये 235 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर की राशि किसानों के बैंक खातों में सरकार जमा करवायेगी। सूखे की स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सहायता के लिये आपात योजना बना रहे हैं, किसान बिल्कुल चिंता नहीं करें, सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी। विद्युत के अस्थायी कनेक्शन दो माह के अवधि के लिये भी मिलेंगे। अब जले ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिये मात्र बीस प्रतिशत राशि अग्रिम देना होगी।

गरीब कल्याण एजेंडा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि गरीब को भरपेट भोजन मिले, इसलिये एक रुपये किलो गेहूँ, चावल, नमक दिया जा रहा है। प्रदेश में जन्मे हर गरीब के पास रहने लायक भूमि के टुकड़े का अधिकार कानून बनाकर दिया है। इसे भू-अधिकार अभियान द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। वे स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। बड़े शहरों में जहां भूमि देना संभव नहीं है, बहुमंजिला इमारतों में आवास उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास, सौभाग्य और उज्ज्वला योजनाओं जैसी संवेदनशील पहल के लिये प्रधानमंत्री का आभार ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि शहरों में लगभग 3 लाख और गांवों में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण हो रहा है। वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को छत मिल जायेगी। सौभाग्य योजना में हर गरीब घर को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिलेगा। उज्ज्वला योजना से माताओं-बहनों को चूल्हे पर खाना बनाने से होने वाली बीमारियों से निजात दिलायी है। श्री चौहान ने शिक्षा के लिये बच्चों को प्रोत्साहित करने की योजनाओं का जिक्र करते हुए दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चों से कहा कि उनके लिये यह समय भविष्य की नींव के निर्माण का है। खूब मेहनत से पढ़ाई करें और अच्छे नम्बर लाने का प्रयास करें। फीस की चिंता नहीं करें। फीस सरकार भरवायेगी। बीमारी में गरीब की मजदूरी बन्द होने और उपचार में लगने वाले पैसे की दिक्कतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने निःशुल्क उपचार, दवा, पैथालॉजी जांच और अस्पताल में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है। गंभीर रोगों के उपचार के लिये मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, राज्य बीमारी सहायता योजना आदि के माध्यम से गरीब के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को विवाह, शिक्षा और उपचार से लेकर सभी जिम्मेदारियाँ निभाने में सरकार सहयोग करेगी। बेटियों को परिवार बोझ नहीं समझें। मुख्यमंत्री कन्यादान, निकाह योजनाएं संचालित की गई हैं। सभी गरीबों को उनके कल्याण के लिये संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये गरीब कल्याण पोर्टल के नाम से एकीकृत पोर्टल की स्थापना की जा रही है। आदमी को आदमी ढोएं, यह प्रथा अन्याय है। इसे समाप्त करने के लिये साइकिल रिक्शा को ई-रिक्शा में बदला जायेगा।

भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल की महिला श्रमिकों को संतान के जन्म के अवसर पर डेढ़ माह की मजदूरी, उसके पति को 15

गरीब को भरपेट भोजन मिले, इसलिये एक रुपये किलो गेहूँ, चावल, नमक दिया जा रहा है। शहरों में लगभग 3 लाख और गांवों में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण हो रहा है। वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को छत मिल जायेगी। सौभाग्य योजना में हर गरीब घर को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिलेगा। उज्ज्वला योजना से माताओं-बहनों को चूल्हे पर खाना बनाने से होने वाली बीमारियों से निजात दिलायी है। सभी गरीबों को उनके कल्याण के लिये संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये गरीब कल्याण पोर्टल के नाम से एकीकृत पोर्टल की स्थापना की जा रही है। एक वर्ष में साढ़े सात लाख युवाओं को रोजगारोन्मुखी व्यवसाय में और इतनी ही बड़ी संख्या में युवाओं का कौशल उन्नयन कराया जायेगा।

दिवस की छुट्टी और लड्डू के लिये एक हजार रुपये उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। आगामी जनवरी माह में वनोपज संग्राहकों को जूते-चप्पल पहनाने की योजना का क्रियान्वयन होने लगेगा। जंगल में स्वच्छ ठंडा पानी उपलब्ध हो, इसके लिए संग्राहकों को कुप्पी भी दी जायेगी। वनोपज के वाज़िब मूल्यों को भी सरकार ने सुनिश्चित किया है। तीर्थ दर्शन योजना में अब पांच वर्ष के अंतराल से बुजुर्ग पुनः नये तीर्थ का दर्शन कर सकते हैं। शहर आने वाले गरीबों को गुणवत्तापूर्ण भरपेट भोजन दीनदयाल अंत्योदय रसोई में पांच रुपये में उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 'दिल से' कार्यक्रम में जनता से सीधा संवाद करते हुए रोजगार के मुद्दे पर बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार, युवा उद्यमी और अन्य आर्थिक कल्याण योजनाएं संचालित हैं। सरकार ऋण की गारंटी लेने के साथ ही 15 प्रतिशत अनुदान और पांच वर्ष तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराकर युवाओं को स्वरोजगार के लिये प्रोत्साहित कर रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में कुटीर एवं लघु उद्योगों का जाल बिछ जाये। कौशल उन्नयन और स्वरोजगार पर फोकस के लिये युवा शक्तिकरण मिशन बनाने की जानकारी देते हुए उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता में स्व-सहायता समूहों की महत्ता की चर्चा की। उन्होंने नीमच की बहनों- गायत्री, पिंकी, लाजा देवी आदि का धन्यवाद करते हुये बताया कि उन्होंने सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह विकास योजना में 50 प्रतिशत अनुदान सहित ऋण प्राप्त कर अपना जीवन ही बदल लिया है। संगिनी स्व-सहायता समूह की बहनों द्वारा बांस की टोकरियों के निर्माण से प्रति माह 8 से 10 हजार रुपये कमाने की बात करते हुए कहा कि खंडवा के संत रैदास वार्ड की बहनों- प्रीति, मनीषा, ऋतु ने भी मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व-सहायता समूह बनाकर ब्यूटी कल्चर और हेयर ड्रेसिंग व्यवसाय द्वारा स्वयं को आत्म-निर्भर बना लिया है। सीधी जिले के विकासखंड रामपुर के भरतपुर खरहना, भैंसराह और कपूरी कोठार गांव के 60 युवाओं ने मुख्यमंत्री

कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना में स्वदेशी वस्त्र निर्माण शिल्प का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ट्राइब्स इंडिया से मार्केट लिंकेज कर इन युवाओं ने रोजगार प्राप्त करने के साथ ही स्वदेशी पहनावे को प्रोत्साहित किया है। प्रत्येक युवा 6 से 9 हजार रुपये प्रति वर्ष की आमदनी भी प्राप्त कर रहा है। सरकार का प्रयास है कि एक वर्ष में साढ़े सात लाख युवाओं को रोजगारोन्मुखी व्यवसाय में और इतनी ही बड़ी संख्या में युवाओं का कौशल उन्नयन कराया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक आत्मनिर्भरता में स्व-सहायता समूहों की महत्ता की चर्चा की। उन्होंने नीमच की बहनों- गायत्री, पिंकी, लाजा देवी आदि का धन्यवाद करते हुए बताया कि उन्होंने सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह विकास योजना में 50 प्रतिशत अनुदान सहित ऋण प्राप्त कर अपना जीवन ही बदल लिया है। संगिनी स्व-सहायता समूह की बहनों द्वारा बांस की टोकरियों के निर्माण से प्रति माह 8 से 10 हजार रुपये कमाने की बात करते हुये कहा कि खंडवा के संत रैदास वार्ड की बहनों- प्रीति, मनीषा, ऋतु ने भी मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व-सहायता समूह बनाकर ब्यूटी कल्चर और हेयर ड्रेसिंग व्यवसाय द्वारा स्वयं को आत्म-निर्भर बना लिया है। सीधी जिले के विकासखंड रामपुर के भरतपुर खरहना, भैंसराह और कपूरी कोठार गांव के 60 युवाओं ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना में स्वदेशी वस्त्र निर्माण शिल्प का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ट्राइब्स इंडिया से मार्केट लिंकेज कर इन युवाओं ने रोजगार प्राप्त करने के साथ ही स्वदेशी पहनावे को प्रोत्साहित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सार्वजनिक परिवहन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवाने और स्कूल एवं यात्री बसों में सीसीटीव्ही कैमरे लगवाने की व्यवस्था की जायेगी। वाहन चालकों के रिकार्ड रखने, उनकी निगरानी करने के साथ ही महिला-कन्या छात्रावासों, आश्रय गृह आदि की विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी। संवेदनशील क्षेत्र भी चिन्हित किये जायेंगे, जहां प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग और प्रकाश की व्यवस्था होगी। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये कानून कड़ी कार्यवाही करेगा।

श्री चौहान ने संवाद के दौरान विगत दिनों मनाये गये पर्वों का उल्लेख एवं उनकी उपयोगिता की चर्चा करते हुए पर्यावरण संतुलन की महत्ता प्रतिपादित की। गरीब कल्याण के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनके कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने मध्यप्रदेश स्थापना दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश ने विकास की कई मंजिलें तय की हैं, अभी और की जानी हैं। सरकार के प्रयासों में समाज और आमजन का सहयोग ही विकास के लक्ष्य को प्राप्त करवाता है। जनता के सहयोग से ही नये मध्यप्रदेश और नये भारत का निर्माण होगा।

नीदरलैण्ड में

आर्गेनिक खेती, अर्बन फार्मिंग और डेयरी उद्योगों की नई तकनीक जानी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने अध्ययन दल के साथ 29 अक्टूबर से 6 नवम्बर 2016 तक यूरोप देश नीदरलैण्ड का दौरा किया। श्री भार्गव के नेतृत्व में दल ने फूलों की खेती, ऑर्गेनिक खेती एवं अर्बन फार्मिंग डेयरी उद्योग की नई तकनीकों तथा डेयरी क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाओं का विस्तार से अध्ययन किया। अध्ययन दल ने हालैण्ड में दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि और दुग्ध उत्पादों की मार्केटिंग की तकनीकों की जानकारी भी प्राप्त की। हॉलैंड में राबो को-आपरेटिव बैंक डेरी फॉर्म, एग्रीकल्चर और फ्लोरीकल्चर को आर्थिक मदद करता है। अध्ययन दल ने बैंक अधिकारियों के साथ इस बारे में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश के ग्रामवासियों की आय में वृद्धि करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए इन नई तकनीकों को लागू किया जायेगा। इससे प्रदेश के ग्रामीण तबके के लोग अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) के सौजन्य से बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ (उ.प्र.) द्वारा नीदरलैण्ड में 29 अक्टूबर से 6 नवम्बर 2017 तक उच्च तकनीक कृषि, वेल्यू चैन दुग्ध उत्पादन एवं उद्यमिता विकास संबंधी कार्यों पर प्रशिक्षण सह एक्सपोजर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मध्यप्रदेश से 5 सदस्यीय दल श्री गोपाल भार्गव, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री राधेश्याम जुलानिया, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, श्री रमन वाधवा, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा श्री संजय सराफ, संचालक, एसआईआरडी, जबलपुर ने भाग लिया।

दल ने नीदरलैण्ड में कृषि, उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन, उन्नत सब्जी, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, खाद्य पदार्थ आदि के क्षेत्र में किये गये अनुकरणीय प्रयासों को देखा। प्रस्तुत है विस्तृत रिपोर्ट-

डेनहॉग

दिनांक 30.10.2017

1. राबो बैंक के प्रतिनिधि श्री पैट्रिक जोऑन द्वारा कृषि वित्तीय व्यवस्था, राबो बैंक द्वारा कृषि संबंधी कार्यों में किए जा रहे प्रयास तथा इससे होने वाले लाभ के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें जानकारी दी कि उनके द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है तथा प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जा सकता है।
2. वैनडेप्लॉज स्प्राउट संस्था की प्रतिनिधि सुश्री ईवा द्वारा विभिन्न प्रकार के अनाज को अंकुरित कर किस तरह से व्यापार को बढ़ावा दिया है तथा उच्च कोटि का पोषण युक्त उत्पाद उपलब्ध कराते हुए आजीविका संवर्द्धन किया जा रहा है, इसका प्रस्तुतीकरण दिया गया।
3. टमाटर और अन्य कृषि उत्पाद की खेती ग्रीन हाउस में बिना मृदा (मिट्टी) के अल्प पानी से किये जाने तथा उनका उच्च कोटि के उत्पादन को देखा गया। "मार्केट" नाम से चल रही एक ऑर्गेनिक सुपर मार्केट में पैकिंग, उत्पाद डिस्प्ले, विक्रय आदि संबंधी प्रक्रिया सीखी गई।

रॉयल फ्लोरा हॉलैण्ड

31.10.2017

4. **विश्व की सबसे बड़ी फूलों की मण्डी में :** दल द्वारा रॉयल फ्लोरा हॉलैण्ड में उच्च तकनीक के माध्यम से फूलों की नीलामी की प्रक्रिया, उत्पाद का भण्डारण, वितरण तथा भुगतान प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। यह कार्य हॉलैण्ड में अत्यंत विस्तृत रूप में किया जा रहा है तथा इससे उत्पादक और क्रेता दोनों ही लाभान्वित होते हैं।
5. क्रूकिस संग्रहालय जिसमें हॉलैण्ड

निर्माण, खेत तैयार करना, अतिरिक्त पानी की निकासी की प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। यह देश समुद्र तल से नीचे होने के कारण यहां पर विश्व का सबसे बड़ा स्टीम इंजन लगाया गया है।

6. शाम को हॉलैण्ड की सबसे बड़ी फूलों तथा नर्सरी संबंधी इंफाट्यून में समन्वित व्यापार विकास और वैल्यू चेन संबंधी कार्य का अवलोकन किया गया।

माइकोफिलिया

दिनांक 01.11.2017

7. **मशरूम की खेती-** दल द्वारा माइकोफिलिया में उच्च कोटि की मशरूम की खेती और अनुसंधान व्यापार प्रक्रिया देखी गई। इस क्षेत्र में कंटेनर्स और ऊर्जा कुशल तकनीक के सहयोग से प्लूरोटस प्रजाति के मशरूमों का उत्पादन किया जाता है तथा यहां से बाजार में बेचा जाता है। मशरूम की खेती के लिए प्रशिक्षण

और अन्य सहयोगी उत्पाद की भी व्यवस्था की गई है।

8. डे-डीलन में रोबोट दुग्ध परिचालन डेयरी फार्म का अवलोकन किया गया। यहां पर दूध निकालने का कार्य तथा सफाई का कार्य रोबोट द्वारा किया

जाता है। एक फार्म में 300 से अधिक उच्च कोटि की गायें रखी गई हैं, जिनके लिए खुले चारागाह की व्यवस्था भी फार्म में ही की गई है। यहाँ गाय के उच्च पालन की व्यवस्था अनुकरणीय है, जिससे वे औसतन 30-32 लीटर दूध प्रति दिवस प्रदान करती हैं। नियमित रूप से गायों की स्वास्थ्य जांच तथा चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है। फार्म मालिक द्वारा 70 प्रतिशत दूध पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पाद बनाने में उपयोग किया जाता है तथा शेष 30 प्रतिशत को-ऑपरेटिव के माध्यम से बेचा जाता है। फार्म हाउस में ही दुग्ध शीत यंत्र की व्यवस्था है। इसके पश्चात् स्पीसगर्गमैन में ऑर्गेनिक डेयरी फार्म देखा गया, जहां पर 90 दुधारू गायें रखी गई हैं। हॉलैण्ड के ऑर्गेनिक दुग्ध नियमों के तहत यहां पर ऑर्गेनिक दूध का उत्पादन फार्म में किया जाता है। प्रति पशु दुग्ध उत्पादन 20-25 लीटर प्रति दिवस है। क्षेत्र में दुग्ध शीत यंत्र लगे हुए हैं तथा मशीन के माध्यम से दूध निकाला जाता है।

ऑर्गेनिक बकरी डेयरी

दिनांक 02.11.2017

9. दो नवम्बर को डेस्ट्रो में ऑर्गेनिक बकरी डेयरी तथा पनीर उत्पाद डेयरी फार्म का भ्रमण किया गया। यह फार्म वर्ष 2000 से संचालित है। यहां पर 180 बकरियों का पालन पोषण किया

जाता है तथा बकरी के दूध का पनीर तैयार कर बाजार में बेचा जाता है। किसानों द्वारा स्वयं के ही फार्म पर दुग्ध शीत यंत्र और पनीर उत्पादन की उच्च कोटि की व्यवस्था की गई है। किसानों द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी और प्रस्तुतीकरण दिया गया।

10. शाम को वाघविंघन विश्वविद्यालय में कृषि एवं खाद्य विज्ञान में किए जा रहे उच्च तकनीक प्रसंस्करण के माध्यम से फ्लाईट फूड, बाजार व्यवस्था एवं संबंधित वैल्यू चेन का प्रस्तुतीकरण हुआ।

रैनकुम-वाघनिंघन एवं गौड़ा

दिनांक 03.11.2017 और 4.11.2017

11. रैनकुम-वाघनिंघन में महिला किसानों द्वारा उच्च कोटि के ऑर्गेनिक फॉर्मिंग तकनीक से 400 से अधिक प्रकार के पौधों जिसमें फल, सब्जी, फूल एवं अन्य औषधीय पौधों की खेती की जा रही है, का भ्रमण किया गया। साथ ही इस ऑर्गेनिक फार्म से उपभोक्ताओं को किस प्रकार सामग्री पंजीकृत कर नियमित रूप से वार्षिक, अर्द्धमासिक, मासिक व्यवस्था अनुसार बेची जाती है, की प्रक्रिया संबंधी जानकारी भी प्राप्त की गई। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महिला कृषक द्वारा स्वयं की भूमि न होते हुए भी लीज पर भूमि प्राप्त की गई है, जहां पर आने वाले सैलानियों, प्रशिक्षणार्थियों के लिए कैटरिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह भी आय का अतिरिक्त स्त्रोत है।

12. गोड़ा में हॉलैण्ड की सबसे बड़ी वेयरहाउस चेन स्लिग्रो का भ्रमण किया गया, जहां पर वेयरहाउस में होलसेल प्रक्रिया, सुपर मार्केट, वितरण, होटल और अस्पताल कैंटीन, कार्यालय कैंटीन समय पर प्रदाय करने की प्रक्रिया देखी गई। इस स्टोर में 6000 से अधिक उत्पाद रखे गये हैं। यहां की प्रबंधन व्यवस्था उत्तम है। भ्रमण उपरांत यह दल 5.11.2017 को वापस आ गया।

महिलाओं की जिद और जुनून से घर-घर बने शौचालय

जीवन की आखिरी दहलीज पर खड़ी जेबो बाई ने शौचालय बनवाने के लिये बकरियाँ बेच दीं तो विधवा महिला पाँचो बाई ने अपनी भैंस। गीता बघेल की शौचालय बनाने की जिद जब पिता ने पूरी नहीं की तो वह खुद फावड़ा लेकर गड्ढा खोदने जुट गई और पिता को शौचालय बनवाने के लिये विवश होना पड़ा। इन सभी से और आगे सपना परिहार की पहल है, जिन्होंने न केवल खुद की ग्राम पंचायत बल्कि समीपवर्ती आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त कराया है।

ग्वालियर जिले की जनपद पंचायत भितरवार के ग्राम किशोरगढ़ निवासी श्रीमती जेबो बाई जीवन के लगभग सौ बसंत देख चुकी हैं। उन्होंने गाँव में सबसे पहले स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय का निर्माण कराया। शौचालय का काम शुरू करने के लिये उन्होंने अपनी बकरियाँ तक बेच दीं। इस मिशन में उनके पति श्री बच्चू सिंह का भी उन्हें पूरा सहयोग मिला। इसी तरह बागवाला गाँव में जब शौचालय बनवाने पर चर्चा चल रही थी, तब गाँव की एक विधवा महिला श्रीमती पाँचो बाई खड़ी हो गईं और बोलीं आप सब बहस करो, हम अपनी भैंस बेचकर शौचालय बनवायेंगे। इन दोनों महिलाओं के प्रोत्साहन से उनके गाँव के हर घर में शौचालय बन गए हैं।

ग्राम देवगढ़ की कुमारी गीता बघेल ने भी शौचालय बनवाने की जिद पकड़ ली। पिता को पक्का शौचालय बनवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्राम ररूआ निवासी कुमारी सपना परिहार की कहानी सबसे अधिक प्रेरणादायक है। गाँव की इस बालिका ने स्वच्छता समग्र जागृति नाम से एक प्रेरक दल बनाया और हर घर में शौचालय की सफल कहानी लिख दी। सपना ने पहले अपनी ग्राम पंचायत को शौच मुक्त किया। फिर उसके बाद समीपवर्ती चीनौर, किशोरगढ़, पुरी व ररूआ सहित लगभग एक दर्जन ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करा दिया। शौचालयों का उपयोग भी हो, इसके लिये सपना समय-समय पर तड़के 4 बजे से अपनी सहेलियों के साथ गाँव में फॉलोअप के लिये भी निकलती हैं। इन जागरूक महिलाओं के चर्चे ग्वालियर जिले के ग्रामीण अंचल की चौपालों में प्रमुखता से छाए रहते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वच्छता का संदेश दिए जाने के बाद ग्वालियर जिले के गाँव-गाँव की चौपाल पर भी शौचालय बनवाने की चर्चा आम थी। कोई कहता फसल बिके तब घर में शौचालय बनवाऊँ तो किसी का कहना था कि सरकार की आर्थिक मदद आए तब शौचालय का निर्माण शुरू करूँ। घर में शौचालय न होने से सबसे ज्यादा कष्ट जाहिर तौर पर महिलाओं को उठाना पड़ता है। जब हर घर में शौचालय की बातें गाँव की महिलाओं ने सुनीं तो उनके मन में उम्मीद की किरण जागी। गाँव के पुरुष अभी इसी उधेड़बुन में थे कि शौचालय का निर्माण कैसे शुरू करें, तभी गाँव की कुछ महिलाओं ने ऐसी मिसाल कायम कर दी कि एक घर में क्या गाँव के सभी घरों में शौचालय बन गए और ग्वालियर जिला अब खुले में शौचमुक्त जिला है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण का अभिनव अभियान

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में वर्ष 2018-19 तक 11 लाख 78 हजार आवास बनाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मध्यप्रदेश में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि तकनीकी दृष्टि से सही, उन्नत और उत्कृष्ट आवास का निर्माण हो सके। प्रशिक्षण का यह कार्य महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर, मध्यप्रदेश द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 10955 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण को लेकर मध्यप्रदेश ने एक अनोखी पहल की है कि यह प्रशिक्षण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले द्वारा संचालित है। इस विशेषता के साथ मध्यप्रदेश ने ग्रामीण विकास कार्यों में किये जाने वाले नवाचारों में एक और कड़ी शामिल कर दी है। यह अपने आप में बड़ी चुनौती भी है और अनुकरणीय उदाहरण भी। प्रशिक्षण आयोजना अनुसार प्रदेश के सभी विकासखण्डों में संचालित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर विकासखण्ड में 7 डिमांस्ट्रेटर और 35 राजमिस्त्री प्रशिक्षित हो रहे हैं। इन प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की परीक्षा कन्सट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कौंसिल ऑफ इंडिया (सीएसडीसीआई) दिल्ली के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा ली जायेगी और प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर के इस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के बाद प्रदेश के गाँव-गाँव में बसे राजमिस्त्री मानक स्तर की कुशल श्रेणी प्राप्त करेंगे। इससे जहाँ प्रदेश में आवास निर्माण का लक्ष्य तो पूर्ण होगा ही साथ ही इन कुशल राजमिस्त्रियों के रोज़गार की संभावनाएं प्रबल होंगी।

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवासहीन नागरिकों को आवास बनाकर देने की योजना पर युद्ध स्तर से काम चल रहा है। इस योजना में गति आने का एक बड़ा कारण यह है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं दिलचस्पी ली और घोषणा की है कि कोई भी मध्यप्रदेश का निवासी आवासहीन नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की दिलचस्पी ने योजना के क्रियान्वयन में गति ला दी है। योजना में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि बनने वाले मकान मजबूत हों, सुंदर हों और किफायती भी। इसके लिए जरूरी था कि मकानों की डिजाइन के अतिरिक्त ऐसे बनाने वाले तैयार करना जो योजना की भावना के अनुरूप मकान तैयार कर सकें। इसके लिए अब प्रदेश भर में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण का काम आरंभ हो गया है। काम की गति कितनी तेज है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के बाबत पहला आदेश 5 सितंबर को निकला और तमाम प्रक्रियाओं के साथ नवंबर के मध्य तक आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया।

राज मिस्त्रियों और प्रशिक्षकों पर किसी प्रकार का दबाव न हो इसके लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। प्रशिक्षण का यह काम प्रत्येक विकासखंड में आरंभ किया गया है। इसके प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खंड के एक ग्राम में सात आवासों का चयन किया गया। एवं प्रत्येक आवास के अनुपात में पांच राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने की योजना बनी। प्रत्येक पांच-पांच प्रशिक्षु राजमिस्त्री पर एक डिमांस्ट्रेटर तैयार किया गया। डिमांस्ट्रेटर के लिए जो मानदंड तैयार किए गए, उन्हें सबसे पहले दस दिन का प्रशिक्षण देकर ट्रेनर्स के रूप में तैयार किया गया और प्रत्येक ट्रेनर द्वारा पांच प्रशिक्षुओं

प्रधानमंत्री आवास योजना

कांताबाई का फिर बसाया परिवार

प्रधानमंत्री आवास योजना से बनने वाले आवास जहाँ गरीबों के घर का सपना पूरा कर रहे हैं, वहीं पारिवारिक जीवन में बड़ा बदलाव भी लाया है, ऐसी अनेक अनूठी कहानियों में एक कहानी है, श्रीमती कांताबाई की। कांताबाई ग्राम पंचायत झाड़ला, जनपद पंचायत शुजालपुर, जिला शाजापुर की निवासी हैं। गरीबी और परिस्थिति से मारी कांताबाई अपने चार बच्चों के साथ बमुश्किल गुजर बसर कर रही थीं। असल में गरीबी और कर्ज से परेशान होकर उनके पति श्री केदार सिंह ने उन्हें चार वर्ष पूर्व छोड़ दिया और वह दूसरी जगह रहने चले गए।

कांताबाई अकेली बच्चों का लालन-पालन करने के लिए विवश थीं। वे जैसे-तैसे अपने बच्चों का गुजारा कर रही थीं। तभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास स्वीकृत हुआ। आवास मिलना कांताबाई के जीवन में दोहरी खुशी लेकर आया। एक तो रहने के लिए अपना खुद का आवास मिला, दूसरा कांताबाई के पति को जैसे ही पता चला कि कांताबाई को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ है वह फिर से अपने गांव लौट आया।

घर वापस आकर कांताबाई के पति ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आवास बनाने में सहयोग भी किया। यह देख कांताबाई अत्यन्त प्रसन्न हुई। कांताबाई कहती हैं कि "प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद" जिनके कारण आज मेरा परिवार फिर से बस गया है, अब मैं एक पक्के आवास में रहती हूँ, जिसमें रसोईघर, दो कमरे, बाथरूम, शौचालय भी है। मैं शायद ही कभी ऐसा पक्का मकान शासन के सहयोग के बिना बना पाती।

इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ लोगों के अपने आवास की उम्मीद पूरी कर रही है, वहीं सामाजिक, आर्थिक बदलाव की एक कड़ी साबित हो रही है। इसका उदाहरण है श्रीमती कांताबाई के जीवन में फिर से खुशहाली लौट आना। अब कांताबाई का जीवन सुखमय है, वे अपने चार बच्चों और पति के साथ खुशी-खुशी जीवन व्यतीत कर रही हैं।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**

राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

मुख्य बिन्दु

- प्रथम चरण में 10955 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण सभी 313 विकासखण्डों में होगा।
- एक विकासखण्ड में 7 डिमान्सट्रेटर तथा प्रति डिमांस्ट्रेटर के साथ 5 राजमिस्त्री कार्य करेंगे। कुल 35 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण सम्पन्न होगा।
- प्रशिक्षण का कार्य महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा संचालित।
- प्रशिक्षण 45 दिवसीय होगा।
- राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग तथा सर्टिफिकेशन आदि कार्यों के लिए महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारियों, संकाय सदस्यों को प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारी बनाया गया है।
- राजमिस्त्रियों के कार्य का मूल्यांकन कन्सट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कौंसिल ऑफ इंडिया (सीएसडीसीआई) दिल्ली द्वारा किया जायेगा।

को प्रशिक्षित करने की योजना है। इस अवधि में सात सौ पचास रुपये की राशि मास्टर ट्रेनर्स के रूप में देय होगी। जिन लोगों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जा रहा है उनमें आईटीआई संस्थाओं द्वारा विगत पांच वर्षों में सफल मेशन ट्रेड के छात्र अथवा चार से छः वर्ष तक का अनुभव रखने वाले कुशल मिस्त्री हो सकते हैं।

प्रत्येक विकासखंड में प्रशिक्षण स्थल पर एक सुपरवाइजर की व्यवस्था की गई है। जिसकी योग्यता उपयंत्री अथवा सहायक यंत्री हो सकती है। इसकी सूची कार्यपालन यंत्री द्वारा तैयार की गई है। इसके लिए ऑनलाइन फार्म भरने की भी व्यवस्था की गई थी जो सारा काम सितम्बर के द्वितीय सप्ताह तक पूरा हो गया।

काम के दौरान यह अनुभव भी आया कि प्रथम दृष्टया जिन संस्थाओं को प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त केंद्र माना गया था किंतु वे संस्थाएं समग्र प्रशिक्षण का काम आगे नहीं बढ़ा सकीं। लेकिन समय रहते ऐसी संस्थाओं के स्थान का परिवर्तन कर दिया गया।

यह सारा प्रशिक्षण कार्यक्रम समय पर और योजना की भावना के अनुरूप हो। इसके लिए सभी 51 जिलों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए। जिन्हें योजना में नोडल अधिकारी बनाया गया, वे या तो जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं अथवा संकाय के सदस्य हैं। उनकी नियुक्ति में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अधिकारी स्थानीय हों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए समय दे सकें। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। निरंतर किये गये नवाचारों के लिए प्रदेश पुरस्कृत भी हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी मध्यप्रदेश ने अनूठी कवायद की है।

प्रशिक्षण का कार्य किसी संस्था अथवा एजेंसी को नहीं दिया गया, बल्कि प्रशिक्षण का पूरा कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास का विभागीय अमला ही कर रहा है। यह विशेष कार्य देश भर में सिर्फ मध्यप्रदेश में ही किया जा रहा है।

● **रमेश शर्मा**
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं)

राज मिस्त्री संजीव अटठ्या को मिला खुद का घर

संजीव कुमार अटठ्या दमोह जिले की हटा तहसील के ग्राम पाली में अपने 5 सदस्यीय परिवार के साथ छोटा-सा कच्चा घर बनाकर रहता था। खुद राज मिस्त्री है, दूसरों का पक्का घर बनाता था लेकिन अपना पक्का घर बनाने में पैसों का अभाव हमेशा इसे खलता रहा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राज मिस्त्री संजीव अटठ्या का अपना पक्का घर बनाने का सपना साकार हो गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जनपद पंचायत हटा के रोजगार सहायक ने राज मिस्त्री संजीव अटठ्या को पक्का घर दिलाने में भरपूर मदद की। योजना के अन्तर्गत आवास सूची में संजीव का नाम जुड़वाया। पहली किश्त में 40 हजार रुपये और दूसरी तथा तीसरी किश्त में 45-45 हजार रुपये की राशि भी दिलवाई। संजीव ने अपने घर के निर्माण में खुद भी मजदूरी की जिसका भुगतान उसे अलग से मनरेगा

योजना के अन्तर्गत मिला। राज मिस्त्री संजीव अटठ्या के पक्के घर में पक्का शौचालय बन गया है और बिजली का कनेक्शन भी है। राज मिस्त्री होने के नाते संजीव ने अपने घर के सामने के भाग में शानदार तरीके से छज्जे का निर्माण किया है। इस दीवाली संजीव ने अपने घर में सपरिवार बिजली की चमचमाती झालरों से लक्ष्मी पूजन किया।

प्रधानमंत्री आवास ने किया कूका के घर का सपना साकार

झाबुआ जिले की रामा जनपद के ग्राम छापरी में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवम्बर को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही श्री कूका राठौर ने गृह प्रवेश किया। कुका के पक्के आवास में प्रवेश का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से ही संभव हो पाया।

कूका राठौर ने चर्चा के दौरान बताया कि पहले उनके पास कच्चा झोपड़ा था जिसमें वर्षा के दिनों में पानी टपकता था। जहरीले जन्तु सांप-बिच्छू भी झोपड़े में घुस जाते थे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका पक्का घर बन गया है। साथ ही शासन के सहयोग से शौचालय और बाथरूम भी बनवा लिया है। अब उसका परिवार बारिश और जहरीले जानवरों के काटने के भय से सुरक्षित महसूस करता है। पक्का आवास बन जाने से अब बारिश में पानी भी नहीं टपकेगा और शौचालय बन जाने से परिवार को शौच के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कूका के चेहरे पर पक्के आवास निर्माण की खुशी साफ झलक रही थी। कूका ने शासन की इस योजना को गरीबों के लिए वरदान बताते हुए कहा कि- पहले कच्चे आवासों में रहने वाले परिवार की कोई चिंता नहीं की जाती थी अब शासन द्वारा गरीब आवासहीन और कच्चे मकान वाले सभी परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवास स्वीकृत किये गये हैं। आवास के लिए हितग्राही को राशि सीधे उसके बैंक खाते में दी जा रही है, ताकि शासन से प्राप्त राशि सीधे हितग्राही को मिले और हितग्राही का आवास का सपना सच हो सके। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से गरीब परिवार पक्के आवास का सपना भी नहीं देख सकते थे। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान बनकर आई है।

दिव्यांग रतनलाल भील को मिला पक्का घर

नीमच जिले के ग्राम बरखेड़ा-हाड़ा में कबेलू का कच्चा घर बनाकर जीवन जी रहा था एक पैर से निःशक्त रतनलाल भील का परिवार। मजदूरी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था रतललाल। घर कच्चा होने के कारण बारिश की परेशानी और जहरीले कीड़े-मकोड़े का डर पूरे परिवार को हमेशा सताता था। रतनलाल ने जनपद पंचायत नीमच के सचिव को अपनी समस्या बताई। पंचायत सचिव ने रतनलाल की पीड़ा को समझा और मदद करने की ठानी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रतनलाल का नाम जुड़वाया। रतनलाल को घर बनाने के लिये जनपद पंचायत ने एक लाख 20 हजार रुपये की राशि 40-40 हजार रुपये की तीन किश्तों में प्राप्त हुई। रतनलाल ने पक्का घर बनाने में खुद मजदूरी भी की।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण रणनीति एवं क्रियान्वयन

वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध हो सके, इसके लिये प्रदेश में वर्ष 2018-19 तक तीन वर्षों में 11 लाख 78 हजार आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत चिहिन्त हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए चार किश्तों में शासन द्वारा 1 लाख 20 हजार रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही साथ मनरेगा योजना से हितग्राही को 100 दिवस की मजदूरी तथा 5 फलदार, छायादार वृक्षों के लिए 5000/- रुपये प्रदान करने का प्रावधान भी रखा गया है। योजनान्तर्गत बनने वाले आवास में शौचालय बनाने के लिए भी सहायता राशि स्वच्छ भारत मिशन से उपलब्ध कराई जाती है।

ग्रामीण आवास की आवश्यकता को पूरा करना और गरीब समुदाय की आवास की समस्या को हल करना सरकार की महती जिम्मेदारी है। इस दायित्व को पूर्ण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की गयी है।

इस योजना को शुरू करने के पीछे मंशा है कि, वर्ष "2022 तक सबके लिए आवास" उपलब्ध हो सके। इसके लिये प्रदेश में वर्ष 2018-19 तक तीन वर्षों में 11 लाख 78 हजार आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत चिहिन्त हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए चार किश्तों में शासन द्वारा 1 लाख 20 हजार रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही साथ मनरेगा योजना से हितग्राही को 100 दिवस की मजदूरी तथा 5 फलदार, छायादार वृक्षों के लिए 5000/- रुपये प्रदान करने का प्रावधान भी रखा गया है। योजनान्तर्गत बनने वाले आवास में शौचालय बनाने के लिए भी सहायता राशि स्वच्छ भारत मिशन से उपलब्ध कराई जाती है।

वर्तमान प्रथम चरण में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में 10955 राजमिस्त्रियों की जरूरत होगी। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए राज्यमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रशिक्षण रणनीति तैयार की गई है, ताकि अर्द्धकुशल मिस्त्रियों को गुणवत्तापूर्ण आवास बनाने की पूर्ण दक्षता प्राप्त हो सके।

योजना अन्तर्गत क्षमतावर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण और सफलतापूर्वक आयोजित

हों, इसके लिए मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान-मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा विभिन्न स्तर के प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है।

प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों में से निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले प्रतिभागियों का प्रमाणीकरण भी किया जा रहा है। भारत शासन के राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् (सीएसडीसीआई) नई दिल्ली से प्रशिक्षण के लिये तकनीकी सहायता ली जा रही है और उन्हीं के माध्यम से प्रतिभागियों का प्रमाणीकरण भी करवाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा बनाये गये राष्ट्रीय योग्यता पटल के आधार पर विभिन्न स्तर के प्रतिभागियों का प्रशिक्षण माड्यूल एवं संदर्भ सामग्री विकसित की गई है। सीएसडीसीआई द्वारा "योग्यता पैक - निर्माण उद्योग के लिए व्यवसायिक मानक" नामक संदर्भ तैयार किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण राजमिस्त्रियों की प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तीन भागों में बनाई गई है। इन पाठ्य सामग्रियों का उपयोग प्रशिक्षण में किया जा रहा है।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत प्रतिभागियों का मूल्यांकन कन्सट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कौंसिल ऑफ इंडिया (सीएसडीसीआई) दिल्ली के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जावेगा। मूल्यांकन में उत्तीर्ण प्रतिभागियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास के निर्माण करते समय प्रशिक्षण दिया जावेगा।

कास्केडिंग मोड में प्रशिक्षण

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण की रणनीति तैयार की गई है। जिसमें "कास्केडिंग मोड" में प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। सबसे पहले प्रदेश स्तर पर "लीड ट्रेनर्स" तैयार किये गये हैं। जिनके द्वारा "डिमांस्ट्रेटर्स" प्रशिक्षण दिया जा रहा है। "डिमांस्ट्रेटर्स" द्वारा "राजमिस्त्रियों" को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

लीड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण

भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद (सीएसडीसीआई) के ट्रेनर्स द्वारा प्रदेश के लीड ट्रेनर्स के लिये दस दिवसीय प्रशिक्षण 11 से 31 सितम्बर 2017 की अवधि में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान-मध्यप्रदेश, अधारताल, जबलपुर में आयोजित किया गया।

"डिमांस्ट्रेटर्स" का प्रशिक्षण

प्रदेश की 313 जनपद पंचायतों में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक जनपद पंचायत से 7 डिमांस्ट्रेटर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार से प्रदेश में कुल 2191 डिमांस्ट्रेटर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। यह प्रशिक्षण महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान-मध्यप्रदेश, अधारताल, जबलपुर के साथ ही साथ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण

कस्तूरी बाई को मिला पक्का मकान

श्योपुर जिले के श्योपुर जनपद में ग्राम पंचायत है प्रेमसर। प्रेमसर गांव में श्रीमती कस्तूरी बाई निवास करती हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली कस्तूरी बाई अनुसूचित जाति वर्ग की महिला हैं। शासन की विधवा पेंशन ही इनका आर्थिक सहारा है। इनके पास न तो अपनी जमीन है और न ही रोज़गार के साधन। वे गाँव में घर-घर झाड़ू लगाती हैं और लोगों से काम के बदले भोजन लेकर अपना पेट भरती हैं। कस्तूरी बाई को सुकून मिला जब प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका नाम शामिल किया गया। अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए कस्तूरी बाई कहती हैं "मैं तो जीवन में कभी भी अपनी कमाई से पक्का मकान नहीं बना सकती थी। ग्राम सभा में मुझे शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिली और पता चला कि आवास निर्माण की सूची में मेरा नाम भी शामिल है। यह सुनकर मन में बड़ी खुशी हुई। मेरा कच्चा मकान था जिसमें मुझे बारिश में बहुत परेशानी होती थी। बरसात होने पर चारपाई बार-बार उठाना पड़ती थी। सामान प्लास्टिक से ढंकना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें अपने सपनों का पक्का घर मिल गया है। इसके पहले हमें ग्राम पंचायत से शौचालय का लाभ भी दिया गया है। अब हमारा जीवन आसान हो गया है। पक्का मकान बनने से हमारे सारे दुख दूर हो गए। शौचालय से साफ-सफाई का माहौल बना है। अब मैं अपने पक्के मकान और स्वच्छ वातावरण में सुख से जीवनयापन कर रही हूँ।"

● **प्रस्तुति : अभिषेक सिंह**

केन्द्र - इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नौगांव जिला छतरपुर एवं सिवनी में आयोजित किये जा रहे हैं। 5 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ हुए इन प्रशिक्षणों में अभी तक सभी प्रशिक्षणों केन्द्रों में तीन बैच में 1466 प्रतिभागी उपस्थित हुए हैं, जिनमें 834 प्रतिभागियों को भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद (सीएसडीसीआई) द्वारा सफल घोषित किया गया है। शेष प्रतिभागियों का परिणाम घोषित होना है।

राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

प्रदेश में कुल 10955 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत हितग्राहियों के ग्रामीण आवास गुणवत्तापूर्ण बनाये जावें, इसके लिए राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यस्थल

मजदूर को मिला "सपनों का घर"

ग्राम पंचायत पटलावदा, जनपद पंचायत शुजालपुर, जिला शाजापुर निवासी श्री कमल सिंह पिता श्री हेमराज सिंह एक खेतीहर मजदूर हैं। वे अपने बच्चों के साथ कच्चे मकान में अपना जीवन बसर कर रहे थे। कच्चे मकान के कारण रहने में तो दिक्कतें थीं ही साथ ही सामाजिक समस्या भी थी। कच्चा मकान होने के कारण कमल सिंह के बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा था। कोई झोपड़ी में अपनी बच्ची को ब्याहना नहीं चाहता था। जीवन में बदलाव तब आया, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमल सिंह को आवास स्वीकृत हुआ। कमल ने अपनी मजदूरी से प्राप्त आय और शासन के सहयोग के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को आवास निर्माण में शामिल किया। सबने मिलकर अपने आवास के सपने को आकार दिया। रसोईघर शौचालय सहित सुंदर आवास का निर्माण किया। अच्छा पक्का मकान बनते ही कमल सिंह की समाज में प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। समय के साथ परिस्थितियां भी बदलीं और उनके पुत्र से विवाह के लिए कई प्रस्ताव आने लगे। आवास पूर्ण होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कमल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के जीवन में फिर से खुशहाली ला दी है।

● **प्रस्तुति : भूपेन्द्र नामदेव**

पर ही आयोजित किये जावेंगे। यह प्रशिक्षण 45 दिवस का है। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को ग्रामीण आवास निर्माण से संबंधित विषय यथा ले-आउट करना, ईंट जुड़ाई, दरवाजे खिड़कियां लगाना, पत्थर की जुड़ाई, फ्लोरिंग, लोहे की बीम तैयार करना, कांक्रीट वर्क, मचान लगाना, मसाला बनाना, दीवार बनाना, छत ढालने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। इन कार्यों को करने का अभ्यास भी कार्यस्थल पर करवाया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 47 जिलों में यह प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे-जैसे डिमांस्ट्रेटर्स प्रशिक्षित होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे शेष जनपद पंचायतों में भी यह प्रशिक्षण प्रारंभ किया जावेगा।

पक्का मकान मिला रामकुमार सुमन को

रामकुमार जिला मुख्यालय श्योपुर से 30 किलोमीटर दूर चम्बल नदी के किनारे बसी बेहड़ी क्षेत्र में एक छोटी सी ग्राम पंचायत जवासा का रहने वाला है। श्री रामकुमार सुमन के पास न तो कोई जमीन है और न ही कोई रोज़गार का साधन। केवल मेहनत- मजदूरी करके अपना और परिवार का भरण पोषण करता है। श्री रामकुमार के शब्दों में- मेरे पास भी अपना पक्का घर होगा, ऐसा सपना देखना हमने छोड़ दिया था। ऐसे में शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मुझे ग्राम सभा के द्वारा दी गई कि तुम्हारा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आ गया है। अब तुम्हें कच्ची झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि शासन तुम्हारे लिये पक्का मकान बनाये जाने के लिये अनुदान दे रही है। यह बात सुनकर मैं खुशी से भावुक हो गया कि शासन हम जैसे गरीब लोग जो कि जीवन जीने की तरंग ही खो चुके हैं। उनके लिए सपनों का घर बनवा रही है। आज मेरा पक्का घर है तो मुझे दुबारा से जिन्दगी जीने का जरिया और हौसला मिल गया है। मैं चाहूंगा कि शासन ऐसी ही गरीब और ग्रामीण हितैषी योजनाएं चलाती रहें, जिससे भारत वर्ष का ग्रामीण भी अपने आपको सरकार के साथ जुड़ा महसूस करे। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत वर्ष के राज्य मध्यप्रदेश में निवास करते हैं।

● **प्रस्तुति : अर्चना शर्मा**

सही अर्थों में प्रशिक्षण का कार्य भी एक तरह की पूजा ही है। पत्थर से मूर्ति बनाकर मंदिर में बिठाना है। पूजा का फल समय की पाबंदी से जुड़ा है जो समय के साथ बंधना नहीं चाहता, वह सफलता के द्वार पर सहजता से कभी नहीं पहुंच सकता। श्रम अलग है, बुद्धि अलग है, भाव अलग है। समय की पाबंदी से इनका कोई लेना देना यदि है तो बस यही कि समय होते ही इनमें कर्म करने की भूख तीव्र हो उठती है, जो कि व्यक्ति को उम्र भर के लिए प्रशिक्षु बना देती है।

सुपरवाइजर्स का प्रशिक्षण

प्रदेश में चल रहे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद पंचायत के लिए एक सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। इन सुपरवाइजर्स को उनके योजना के प्रावधानों, गुणवत्तापूर्ण आवास के मानक, उनके दायित्वों की जानकारी देने के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र - इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नौगांव जिला छतरपुर एवं सिवनी में आयोजित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 151 सुपरवाइजर्स का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया है।

प्रशिक्षण के लिए नोडल अधिकारी

राजमिस्त्री प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिये महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारियों तथा संकाय सदस्यों को एक-एक जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये नोडल अधिकारी आवंटित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और सीएसडीसीआई के साथ समन्वय करते हुए राजमिस्त्रियों का 45 कार्य दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न करायेंगे।

सही अर्थों में व्यक्तिशः प्रशिक्षण का कार्य भी एक तरह की पूजा ही है। पत्थर से मूर्ति बनाकर मंदिर में बिठाना है। पूजा का फल समय की पाबंदी से जुड़ा है जो समय के साथ बंधना नहीं चाहता, वह सफलता के द्वार पर सहजता से कभी नहीं पहुंच सकता। श्रम अलग है, बुद्धि अलग है, भाव अलग है। समय की पाबंदी से इनका कोई लेना देना यदि है तो बस यही कि समय होते ही इनमें कर्म करने की भूख तीव्र हो उठती है, जो कि व्यक्ति को उम्र भर के लिए प्रशिक्षु बना देती है।

मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत प्रशिक्षित किए जा रहे डिमांस्ट्रेटर्स एवं राजमिस्त्री गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण के अपने लक्ष्य को निःसंदेह शत प्रतिशत प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही ये प्रशिक्षित राजमिस्त्री अपनी आजीविका को सुदृढ़ करते हुए अपने जीवनस्तर को बेहतर बनाते हुए यह प्रशिक्षित राजमिस्त्री प्रदेश में प्रशिक्षण के प्रति अन्य राजमिस्त्रियों की रुचि को भी जागृत करेंगे।

● **संजय कुमार सराफ**
संचालक
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर, मध्यप्रदेश

महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, म.प्र.

अधारताल, जबलपुर (म.प्र.) 482004
फोन नं. - 0761-2681864 फैक्स - 0761-2681870,

समग्र ग्रामीण विकास और सशक्त पंचायत राज व्यवस्था को सफल बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के दृष्टिकोण से भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश में वर्ष 1987 में "राज्य ग्रामीण विकास संस्थान" की स्थापना जबलपुर में की गई। जबलपुर में पूर्व से ही पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित था, जो कि भारत शासन द्वारा 1967 में राज्य शासन को हस्तांतरित किया गया था। उस समय यह केन्द्र पंचायत राज और सामुदायिक विकास से जुड़े अधिकारियों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्य करता था। राज्य शासन द्वारा 1987 में इस केन्द्र का ही राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के रूप में उन्नयन किया गया। यह संस्थान पूरे प्रदेश के लिए पंचायत राज के पदाधिकारियों और ग्रामीण विकास के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्य करने लगा। 12 मार्च 2016 में संस्थान का नाम "महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान" किया गया।

संस्थान का मिशन

गुणवत्ता पूर्ण विकास की दिशा में कार्यरत ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों के ज्ञान तथा कौशल में वृद्धि और मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाना।

इसके लिए नवीनतम अवधारणा, तकनीकी और जानकारी देकर गुणात्मक विकास के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाना है।

समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शोध एवं अध्ययन आदि गतिविधियाँ चलाई जाती है। संस्थान द्वारा वर्तमान में चल रहे ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति तथा संसाधनों के दोहन सुनिश्चित करने की संभावनाओं और क्षमताओं की खोज को चिन्हित करने का प्रयास किया जाता है।

संस्थान की गुणवत्ता

- महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, ग्रामीण विकास में सम्मिलित अधिकारियों, क्रियान्वयकों एवं प्रतिनिधियों के ज्ञान, कौशल और व्यवहार विकास हेतु वचनबद्ध है, जिससे गुणवत्ता विकास के लिए उन्हें एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए नये विचारों, तकनीकों तथा सूचनाओं से परिचित कराया जा सके।
- संस्थान संसाधनों के दोहन को सुरक्षित करते हुए विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं में अनुसंधान एवं अध्ययन के द्वारा समग्र विकास की संभावना तलाशने में विश्वास करता है।
- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली संस्थान के सभी कर्मचारियों को ज्ञात होती है। सभी के द्वारा पुनरावलोकित होती है, ताकि समय-समय पर संस्थान की इस प्रणाली में प्रभावी बदलाव लाया जा सके।

पंच परमेश्वर पोर्टल और पंच परमेश्वर एप बनाने में

देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 27 नवम्बर को भोपाल में पंच परमेश्वर पोर्टल और पंच परमेश्वर एप का शुभारंभ किया। पोर्टल और एप का शुभारंभ करते हुए श्री भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश यह व्यवस्था अपनाने वाला देश का पहला राज्य है, जिसमें ग्राम पंचायतों के समस्त कार्य व्यवहार को पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली समस्त राशियों तथा उनके व्यय का एक-एक बिलवार विवरण इस पोर्टल और एप पर उपलब्ध रहेगा। इस प्रणाली को दूसरे राज्य भी अपनायेंगे। श्री भार्गव ने कहा कि ग्राम पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्णतः केशलेस किया गया है। इसके लिए प्रदेश राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बैंक खातों से डिजिटल लेनदेन प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने वाले व्यय को पोर्टल पर दर्ज करते ही उस ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आयेगा। जिससे ई-भुगतान आदेश को लॉक कर भुगतान के लिए बैंक को प्रेषित किया जायेगा। इसके लिए एन आई सी और आठ राष्ट्रीयकृत बैंकों के सर्वर को इंटीग्रेट किया गया है। बैंकों द्वारा भुगतान किये जाने के साथ ही भुगतान का विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

श्री भार्गव ने कहा कि ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों की वास्तविक स्थिति के फोटोग्राफ जीपीएस लोकेशन के साथ पोर्टल और एप पर उपलब्ध रहेंगे। इस भुगतान व्यवस्था से ग्राम पंचायतों के समस्त वित्तीय अभिलेख स्वतः ही ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। पृथक से केशबुक, लेजर आदि अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार प्रदेश की ग्राम पंचायतें पूर्णतः पेपर लेस और केशलेस पंचायतों के रूप में कार्य करेंगी। इसे स्मार्ट फोन से लॉगिन कर कहीं से भी आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

श्री भार्गव ने कहा कि ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को सुगम, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा उत्तरदायी बनाने के लिए सूचना और प्रोद्योगिकी की नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पोर्टल तथा एप बनाकार एक अभिनव पहल की है। यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया अभियान के अंतर्गत ग्राम के अंतिम छोर तक डिजिटल और केशलेस लेनदेन की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए यह मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, अपर मुख्य सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया तथा एन आई सी के श्री सुनील जैन उपस्थित थे।

● **के.के. जोशी**
सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग

विकास यात्रा-सह-अंत्योदय मेला

हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह जिले के पथरिया में विकास यात्रा-सह-अंत्योदय मेला में 25 नवम्बर को कहा कि मध्यप्रदेश के हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। दिसम्बर-2018 तक सभी मजरे-टोले बिजली से रोशन होंगे।

श्री चौहान ने कहा कि 26 जनवरी से प्रदेश में भू-अधिकार अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी पात्र भूमिहीनों को रहने लायक जमीन का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिए जाएंगे। श्री चौहान ने बताया कि अब रेत खदानें नीलाम नहीं होंगी। खदानें पंचायतों को सौंप दी जाएंगी। रॉयल्टी 900 रुपये के स्थान पर 125 रुपये कर दी गई है। ठेकेदारी समाप्त कर दी गई है।

घोषणाएँ

मुख्यमंत्री ने पथरिया और बटियागढ़ में आईटीआई खोलने तथा पथरिया महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ करवाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मेले में 1019 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 109 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि अंत्योदय मेले में हितग्राहियों को सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हितग्राहियों को जनपद और जिला पंचायत के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इस दौरान वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, सांसद श्री प्रहलाद पटेल एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 16 से 31 अक्टूबर के बीच जिन किसानों ने खरीफ की फसलें भावांतर भुगतान योजना में बेची हैं, उनके खाते में 135 करोड़ रुपये अंतरित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसान कीर्ति मिश्रा को एक लाख 13 हजार 616, परशुराम पटेल को एक लाख एक हजार, जगदीश पटेल को एक लाख और रतन लोधी को एक लाख 10 हजार रुपये की भावांतर राशि मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों की सरकारें इस योजना का अध्ययन कर रही हैं। श्री चौहान ने कहा कि दमोह जिले में वर्ष 2003 में 5,860 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। अब 51 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही जूड़ी, साजली, सतधरू और पंचम नगर सिंचाई योजनाएँ पूरी होने पर एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होने लगेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को गणवेश बनवा कर दिए जाएंगे। बच्चों के गणवेश और पोषण आहार महिला स्व-सहायता समूह बनाएंगे। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हितलाभ भी प्रदान किये।

आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की आधारभूत पहल

ग्राम पंचायत विकास योजना

प्रदेश के इन्दौर जिले की पाँच ग्राम पंचायतों को आदर्श (स्मार्ट) ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई गई। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की प्रक्रिया सरल तथा आसान बनाने के लिए पहले पायलेट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया गया।

मध्यप्रदेश में संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय, यूनीसेफ तथा रिद्धि फाउण्डेशन के द्वारा इन्दौर जिले की पाँच ग्राम पंचायतों क्रमशः इन्दौर जनपद पंचायत की दो ग्राम पंचायत, मोरोद, सिंदोडा एवं मउ जनपद की तीन ग्राम पंचायतें गवली, पलासिया, राजपुरा कुटी तथा खेडी सिहोद को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से पहल की गई है।

प्रथम चरण

प्रथम चरण में पंचायत राज संचालनालय द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए माह सितंबर 2017 में रिद्धि फाउण्डेशन कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में प्रदेश के पांच संकाय सदस्यों (एसआईआरडी, ईटीसी, पीटीसी एवं यूनीसेफ के सदस्य) का चार दिवसीय 20 से 24 सितंबर 2017 तक प्रदर्शन भ्रमण सह प्रशिक्षण कराया गया तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कोलकाता भेजा गया, जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के अनुभवों से सीख लेते हुए इन्दौर जिले की पांच ग्राम पंचायतों को स्मार्ट पंचायत के रूप में विकसित किया जा सके।

द्वितीय चरण

इन्दौर जिले की पाँच ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जिला सहयोग दल के सदस्यों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण 30 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2017

तक किया गया, जिसमें सभी 05 चयनित ग्राम पंचायतों के जनपद सदस्य, सरपंच, सचिव एवं विभागीय अमले (लाइन डिपार्टमेन्ट) जिसमें उपयंत्री, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, कृषि विकास अधिकारी, पशुचिकित्सा अधिकारी, पीसीओ को संयुक्त रूप से आदर्श ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण में अपनाई गई मुख्य प्रक्रिया

(1) प्रथमतः ग्राम पंचायतों में चुने गये प्रतिनिधियों और कार्यकारी अमले का क्षमतावर्धन किया गया। साथ ही उन्हें ग्राम पंचायत में सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए प्रेरित किया गया।

(2) पारंपरिक प्रशिक्षण बनाम भागीदारी प्रशिक्षण और पारंपरिक बनाम भागीदारी विकास के दृष्टिकोण का प्रशिक्षण दिया गया।

(3) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के लिए नवम्बर 2017 की स्थिति में की गई प्रक्रियाओं और प्रयासों का सहजीकरण किया गया तथा ग्राम पंचायत का डेटाबेस तैयार किया गया।

(4) प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की प्रगति और समस्याओं को सुलझाने की पहल की गई।

(5) ग्राम पंचायत में उपलब्ध जानकारी का दस्तावेजीकरण किया गया।

(6) जी पी डी पी प्रशिक्षण के साथ-साथ सतत विकास का लक्ष्य (एस.डी.जी.) ग्राम पंचायतों में लैंगिक समानता, पर्यावरण मैत्री ग्राम पंचायत, बाल मैत्री ग्राम पंचायत आदि प्रासंगिक मुद्दों को भी प्रशिक्षण में शामिल किया गया।

(7) ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए आईसी टूल सहित सहभागिता नियोजन को सुगम बनाने की कुछ विधियाँ, पीआरए गतिविधियां और तकनीकें सिखाई गईं।

ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के लिए 5 ग्राम पंचायतों में 15 से 18 नवम्बर 2017 तक चुनी हुई ग्राम पंचायतों में समस्त ग्राम पंचायत वासियों की उपस्थिति में जन सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया गया। इन चुनी हुई पांच ग्राम पंचायतों ने सहयोग दल और कोलकाता से आए विशेष रिसोर्स दल के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में जनसहभागिता से वातावरण निर्माण (आईईसी) की गतिविधियां एवं सर्वे तथा पीआरए किया जाकर जन सहमति एवं भागीदारी से ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्धारण किया गया।

तृतीय चरण

ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के लिए 5 ग्राम पंचायतों में 15 से 18 नवम्बर 2017 तक चुनी हुई ग्राम पंचायतों में समस्त

ग्राम पंचायत वासियों की उपस्थिति में जन सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया गया। इन चुनी हुई पांच ग्राम पंचायतों ने सहयोग दल और कोलकाता से आए विशेष रिसोर्स दल के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में जनसहभागिता से वातावरण निर्माण (आईईसी) की गतिविधियां एवं सर्वे तथा पीआरए किया जाकर जन सहमति एवं भागीदारी से ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्धारण किया गया।

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्धारण में मुख्यतः यह प्रक्रियाएं अपनाई गईं।

(1) ग्राम पंचायत से संबद्ध सभी वार्ड, मजरा, टोला, में निवासरत व्यक्तियों और परिवारों से अलग-अलग समूहों में चर्चा की गई। ग्राम पंचायत की स्थिति का विश्लेषण किया गया, जिसके लिए ग्राम पंचायत में भ्रमण (ट्रांजिट वॉक) किया गया।

(2) सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) यह ग्राम पंचायत की स्थिति विश्लेषण करने का वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें स्थानीय व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा "सोशल मेपिंग" की गई, जिसमें ग्राम के महत्वपूर्ण स्थानों, भौतिक तथा सामाजिक संरचनाओं आदि को नक्शे के रूप में बनाकर दर्शाया गया। इसी प्रकार गांव में प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों, भूमि उपयोग, जल निकासी, सिंचाई के साधन आदि को दर्शाने के लिए संसाधन मेपिंग की गई।

विशेष नवाचार प्रयोग- सोशल मेपिंग और संसाधन मेपिंग के लिए मध्यप्रदेश में पहली बार नवाचार प्रयोग के तहत वैज्ञानिक तरीके से ग्राम पंचायत की मेपिंग करने के लिए ड्रोन कैमरे का प्रयोग किया गया। ग्रामीणों को दूरदर्शन के माध्यम से ग्राम की बसाहट और संसाधनों को दिखाया गया, जिससे ग्रामीणों द्वारा रुचि लेकर वास्तविक

सोशल मेपिंग और संसाधन मेपिंग की गई।

अंत में सभी प्रकार की जानकारियां एकत्रित कर ग्राम की आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया, जिसमें कार्यों का चिन्हांकन किया गया, इस प्रक्रिया से ग्राम पंचायतों द्वारा न केवल अधोसंरचनात्मक गतिविधियों को लिया गया बल्कि ग्राम की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी अपनी वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया। पायलेट प्रोजेक्ट के पूर्व ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के दौरान जो कार्ययोजना तैयार की गई थी, वह केवल निर्माण कार्यों की थी।

वर्तमान में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत पांच ग्राम पंचायतें निर्धारित की गयीं। ग्राम पंचायत विकास योजना वास्तव में ग्राम पंचायत के समग्र विकास की योजना (स्मार्ट ग्राम स्मार्ट पंचायत) के रूप में विकसित हुई। पायलेट प्रोजेक्ट विकसित करने में रिद्धि फाउंडेशन कोलकाता का दल और संस्थान के अध्यक्ष श्री एम.एन. रॉय पूर्व आई.ए.एस., यूनिसेफ भोपाल के विशेषज्ञ श्री जितेन्द्र पंडित एवं पंचायत राज संचालनालय के संचालक श्री शमीम उद्दीन (आई.ए.एस.) राज्य कार्यक्रम समन्वयक श्री प्रफुल्ल जोशी की प्रमुख भूमिका रही। स्थानीय स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर, पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र ईटीसी/पीटीसी इन्दौर का विशेष सहयोग रहा है।

प्रदेश में समस्त ग्राम पंचायतें आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में पायलेट प्रोजेक्ट के तर्ज पर विकसित हों, इसके लिए श्री शमीम उद्दीन संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रारंभिक रूप से सभी 51 जिलों की कम से कम पांच-पांच ग्राम पंचायतें विकसित करने के लिए भारत शासन के निर्देशानुसार नवाचार पहल की है। इस प्रकार से विकसित की गई सभी ग्राम पंचायतें पंचायत लर्निंग सेन्टर के रूप में विकसित होंगी, जिसे देखकर अन्य पंचायतें भी उसी प्रकार से विकसित की जावेंगी।

एक लाख तिरासी हजार चार सौ सात स्व-सहायता समूहों को दी गई 688.54 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता

मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचलों में गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सघन रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में यह मिशन वर्ष 2012 से प्रारंभ किया गया। वर्ष 2016-17 में 33 जिलों के 195 विकासखण्डों में मिशन का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। शेष 118 विकासखण्डों में गैर-सघन रूप से जिला पंचायतों के माध्यम से मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस वर्ष 2017-18 में 10 नए जिलों के 76 विकासखण्डों में मिशन का सघन क्रियान्वयन आरंभ किया गया है।

- **एक लाख 42 हजार 294 स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज कर एक हजार 754 करोड़ रुपये का ऋण कराया उपलब्ध।**
- **मिशन के तहत लगभग 22 लाख परिवारों को जोड़ा गया स्व-सहायता समूहों से।**
- **मिशन द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित रोजगार मेले और जिला स्तर पर आयोजित रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किये गये।**

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आरंभ से लेकर सितम्बर-2017 तक कुल एक लाख 83 हजार 407 स्व-सहायता समूहों को 688.54 करोड़ रुपये की राशि परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फण्ड) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) स्वरूप प्रदाय की गई है। राज्य में एक लाख 42 हजार 294 समूहों का बैंक लिंकेज कर एक हजार 754 करोड़ रुपये का ऋण भी दिलाया गया है।

मिशन के अंतर्गत 22.12 लाख परिवारों को संगठित कर एक लाख 93 हजार 107 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। प्रदेश में 16 हजार 75 ग्राम संगठन बनाए गये हैं, जिनमें एक लाख 14 हजार 528 स्व-सहायता समूहों की सदस्यता है। संकुल आधारित 335 संगठन (सीएलएफ) बनाए गये हैं। कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 22 हजार 689 समुदाय स्रोत व्यक्तियों का चिन्हांकन और प्रशिक्षण किया गया है। प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर सेवाएँ देने के लिए 5016 कृषि सीआरपी प्रशिक्षित की गई हैं। ग्रामीण अंचलों के 14 लाख 39 हजार 480 परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में जनपद स्तरीय रोजगार मेले और सभी जिलों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आयोजित किये गए। मेलों और प्रशिक्षण के माध्यम से 6 लाख 19 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये गये। आज की स्थिति में आजीविका गतिविधियों से जुड़े सदस्यों में से एक लाख 42 हजार से अधिक समूह सदस्य एक लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित करने लगे हैं।

इस मिशन अंतर्गत 3 सर्वश्रेष्ठ समूह एवं एक ग्राम संगठन को उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा एक लाख रुपये की राशि प्रति समूह एवं 2 लाख रुपये की राशि ग्राम संगठन को दी गई है। वर्ष 2016 एवं 2017 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के कॉमन रिव्यू मिशन ने प्रदेश में आजीविका मिशन के कार्यों की निरंतर सराहना की है। राष्ट्रीय आरसेटी दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा स्व-रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 7 जून, 2017 को पुरस्कृत किया गया है। दिनांक 19 जून, 2017 को आजीविका गतिविधियों के संचालन के लिए अन्य प्रदेशों की तुलना में बेहतर कार्य के लिए मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया।

● **के.के. जोशी**
सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग

पंचायत सचिव की मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति मिलेगी : श्री भार्गव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अनुशंसा पर पंचायत सचिव की मृत्यु होने पर परिवार के एक पात्र सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने की स्वीकृति दे दी गई है। अनुकम्पा नियुक्ति की यह व्यवस्था एक अप्रैल, 2017 से लागू की जाएगी।

मंत्री श्री भार्गव ने इस निर्णय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद प्रेषित किया है।

सघन मिशन इन्द्रधनुष

'सुरक्षा छतरी मध्यप्रदेश' दूसरे राज्यों में भी हो रही लोकप्रिय

पंचायतों को मिलेगा दो लाख रुपये का पुरस्कार

सघन मिशन इन्द्रधनुष के प्रथम चरण में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार सुरक्षा छतरी दूसरे राज्यों में भी लोकप्रिय हो रही है। इस रंगबिरंगी छतरी में सघन मिशन इन्द्रधनुष के 'लोगो' के साथ खसरा, टिटनेस, रोटा, आईपीवी, पोलियो, पेंटावेलेंट, वीसीजी, हेपेटाइटिस, डीपीटी, ओपीवी, मीजल्स, बूस्टर, विटामिन-ए के नाम लिखे हुए हैं।

टीकाकरण टीमें सुरक्षा छतरियों का वितरण गाँव में कर रही हैं, जिनसे आकर्षित होकर लोग टीकाकरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा भी इन सुरक्षा छतरियों को इतना सराहा गया कि उन्होंने तुरंत वायुयान से ये छतरियाँ नमूने के तौर पर मंगवाकर देश के अन्य 15 राज्यों में जारी सघन मिशन इन्द्रधनुष टीकाकरण के प्रथम एवं द्वितीय चरण में वितरित कराई हैं।

गत 8 नवम्बर से आरंभ द्वितीय चरण में 13 जिलों अलीराजपुर, झाबुआ, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, शहडोल, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, विदिशा और इंदौर (शहर) में छूटे हुए 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती माताओं का टीकाकरण जारी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सघन मिशन इन्द्रधनुष के दौरान शत-प्रतिशत टीकाकरण करवाने वाली पंचायतों को 2 लाख रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। पंचायतों में विभिन्न नारे भी लोकप्रिय हो रहे हैं।

हर बढ़ता कदम हमें आगे ही ले जाना है,
पोलियो उन्मूलन, नवजात शिशु, टिटनेस निर्मूलन कर,
नौ जानलेवा बीमारियों से मुक्ति दिलाना है,
सघन मिशन इन्द्रधनुष सफल बनाना है।

भागवती ने एक सौ दो गाँवों में चार सौ बीस स्व-सहायता समूह गठित कराए

शिवपुरी जिले की ग्राम कमरौआ निवासी भागवती चंदेल का परिवार कल तक दूसरे गाँवों में जाकर मजदूरी करता था। आज भागवती का बेटा गांव में ही अपनी दुकान चलाकर प्रतिमाह 6 से 8 हजार रुपये कमा रहा है। पति सीएलएफ के पद पर काम कर रहा है और 4 हजार 200 रुपये प्रतिमाह कमा रहा है। भागवती ने गाँव में ही दो बीघा जमीन ठेके पर लेकर टमाटर की खेती करना शुरू कर दी है। भागवती के जीवन में यह बदलाव स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद आया है। पति के विरोध के बावजूद भागवती पास के गांव के संतोषी स्व-सहायता समूह से जुड़ी और सदस्य के रूप में 10 रुपये प्रति सप्ताह जमा करना शुरू किया। समूह से पहली बार 15 हजार रुपये का कर्ज लेकर बेटे की दुकान शुरू कराई। इसके बाद पति को सीएलएफ के पद पर लगवाया। वो अभी तक समूह से 6 लाख रुपये का ऋण ले चुकी है और ब्याज सहित लौटा भी रही है। साथ ही पांच दिवसीय ग्राम ज्योति प्रशिक्षण प्राप्त कर दूसरे गाँवों और जिलों में स्व-सहायता समूह बनाने का प्रशिक्षण दे रही है। आज तक भागवती लगभग 102 गाँवों में 420 स्व-सहायता समूह का गठन करवा चुकी है। इन समूहों के गठन से उसे मानदेय के रूप में 10 हजार से भी अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा शिवपुरी जिले के प्रभारी श्री रुस्तम सिंह ने हाल ही में जनपद पंचायत कोलारस के भ्रमण के दौरान भागवती के अटल इरादों और मेहनत की तारीफ की और उसे महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोर्टल

पारदर्शी समयबद्ध कार्यप्रणाली

भारतीय संस्कृति में अन्न को देव और भोजन को प्रणव या प्राणशक्ति माना गया है। बच्चों को हमारे यहां बालगोपाल की मान्यता है। बहन, भांजे, भांजियों को पूज्य मानते हैं। इसी भावना के तहत हमारे लोकप्रिय तथा लोकोन्वेषी मुख्यमंत्री ने स्वयं को बालगोपालों का मामा निरूपित कर दिया है और उनकी सरकार आज के नौनिहालों यानी कल के नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रही है। बच्चों को बुनियादी रूप से हृष्ट-पुष्ट बनाना है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सक्रिय मस्तिष्क काम करता है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की व्यवस्था के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और भुगतान में समयबद्धता लाने के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोर्टल तैयार किया गया है, जिसका लक्ष्य है मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में वास्तविक लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, राशि का समय पर भुगतान हो, खाद्यान्न का आवंटन, उठाव तथा अंतिम शेष की सही स्थिति प्राप्त हो सके। पोर्टल तैयार करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन और संचालन को ऑनलाइन तथा कागजमुक्त करना है। इसके लिए अगस्त 2017 से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत राशि का भुगतान और खाद्यान्न का आवंटन मध्यान्ह भोजन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन

खाद्यान्न आवंटन

- खाद्यान्न का आवंटन शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या के 65 प्रतिशत के मान से किया जाता है। इससे अधिक उपस्थिति जिला कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के प्रमाणीकरण पर मान्य की जाती है।
- खाद्यान्न का आवंटन प्रतिमाह अग्रिम रुप से किया जाता है। प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लक्षित छात्र संख्या के मान

से शालावार तथा उचित मूल्य की दुकानवार रिलीज ऑर्डर जारी कर नागरिक आपूर्ति निगम के पोर्टल पर लिंक कर दिया जाता है।

- शालावार तथा उचित मूल्य की दुकानवार खाद्यान्न की मात्रा शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर संचालित POS मशीन पर भेज दिया जाता है।
- शालाओं में मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाले स्व-सहायता समूह के चिन्हित सदस्य खाद्यान्न का उठाव करते हैं।
- खाद्यान्न के ऑनलाइन आवंटन के विरुद्ध किये गये उठाव की मात्रा के आधार पर परिवहन एवं केन्द्रीय प्रदाय दर की प्रतिपूर्ति राज्य स्तर से पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
- माहवार जारी किये गये आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव समय सीमा में कराये जाने की जिम्मेदारी जिलों की है।
- शासन स्तर से जारी खाद्यान्न की अवशेष मात्रा का समायोजन आगामी माह में किया जाता है।

एजेंसी को भोजन पकाने की लागत राशि का भुगतान

- प्रत्येक माह की 25 से 30 तारीख के बीच जिला स्तर से आवश्यकतानुसार नई एजेंसी का चयन अथवा पुरानी एजेंसी को हटाया जा सकता है।
- एजेन्सी परिवर्तन का कार्य अपरिहार्य कारणों से ही किया जाता है। एजेन्सी परिवर्तन के लिए निरीक्षणकर्ता अधिकारी का प्रतिवेदन स्पष्ट कारणों को दर्शाते हुए प्राप्त किया जाता है।
- एजेन्सी का चयन अथवा पुरानी एजेन्सी को हटाये जाने के लिए पोर्टल में दर्ज विकल्प में से एक विकल्प का चयन कर एजेन्सी का चयन अथवा हटाया जा सकता है।
- माह की एक तारीख को एडवांस कुकिंग कॉस्ट का ईपीओ जारी किया जाता है।
- विगत माह के अस्वीकृत ईपीओ की जानकारी अद्यतन करने के पश्चात् एक तारीख को ही पुनः ईपीओ जारी किया जाता है।

रसोइयों का मानदेय भुगतान

- रसोइयों के मानदेय की गणना माह की 26 तारीख से आगामी माह की 25 तारीख तक की जाती है।
- जिला स्तर से आवश्यकतानुसार रसोइयों के चयन या हटाने की सुविधा उपलब्ध है। रसोइया बदलने की कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से ही की जाती है।
- प्रत्येक माह की 26 तारीख को पोर्टल द्वारा ऑटो जनरेटेड ईपीओ पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। माह के अंतिम कार्यदिवस के पूर्व डिफॉल्ट मानदेय को सही करने तथा बदले गये रसोइयों के बैंक खाता क्रमांक तथा आईएफएससी कोड अपडेट करने का कार्य जिला स्तर से होता है।
- माह के अंतिम कार्यदिवस को ईपीओ भुगतान हेतु बैंक को प्रेषित कर दिया जाता है।
- पूर्व माह के असफल ई-पेमेंट ऑर्डर संशोधित खाते में एक तारीख को अपडेट किया जाता है।

● **मनोज खरे**
संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

मध्यान्ह भोजन

प्रदेश के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की सार्थक पहल

भारतीय संस्कृति में अन्न को देव और भोजन को प्रणव या प्राणशक्ति माना गया है। बच्चों को हमारे यहां बालगोपाल की मान्यता है। बहन, भांजे, भांजियों को पूज्य मानते हैं। इसी भावना के तहत हमारे लोकप्रिय तथा लोकोन्वेषी मुख्यमंत्री ने स्वयं को बालगोपालों का मामा निरूपित कर दिया है और उनकी सरकार आज के नौनिहालों यानी कल के नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रही है। बच्चों को बुनियादी रूप से हृष्ट-पुष्ट बनाना है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सक्रिय मस्तिष्क काम करता है।

मुख्यमंत्री जी प्रदेश के कोने-कोने से कुपोषण मिटाने के लिये दृढ़ संकल्पित हैं।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने की योजना चालू की गई थी। यद्यपि 'पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम' पंद्रह अगस्त 1995 से लागू हुआ था। किन्तु वह अधूरा और अपर्याप्त था। सन् 2004 से इसे ताजे पके हुए गरमागरम भोजन प्रदाय कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया। सन् 2007 से इसमें माध्यमिक शालाओं को भी शामिल कर दिया गया। अब यह बुनियादी महत्व का जनहितैषी कार्यक्रम शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, बालश्रम स्कूलों तथा शासकीय अनुदान प्राप्त मदरसों में लागू है। इसके तहत बच्चों को निर्धारित खाद्य सूची (मीनू) के अनुसार ताजा पका हुआ गरमागरम और स्वादिष्ट-रुचिकर भोजन दोपहर में दिया जाता है।

पंद्रह जुलाई, 2015 से प्राथमिक शाला और आंगनवाड़ियों के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन दिन (सोम, बुध, शुक्र) दूध भी दिया जाता है। इसे दस ग्राम दूध पाउडर से तैयार करके 100 एम.एल. तरल दूध प्रदाय करते हैं। सप्ताह में तीन दिन मीठा, पौष्टिक दूध दिया जा रहा है जो कि पांच फ्लेवरों यथा चॉकलेट, स्ट्राबेरी, इलाइची, वनीला और पाइनऐप्पल में उपलब्ध है। वर्ष 2017-18 हेतु प्राथमिक शाला के 37.13 लाख तथा आंगनवाड़ियों के 28.63 लाख इस प्रकार 65.76 लाख बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के लिये 114 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में यह दूध साल में 150 दिन और प्राथमिक शालाओं में 120 दिन दिया जाता है।

कुपोषण के कलंक को दूर करने के लिये कुपोषित जनपदों को चिंहित कर लिया गया है। वर्ष 2017-18 में कुल 85 कुपोषित जनपदों की 24940 प्राथमिक शालाओं के 11,52,719 विद्यार्थियों को प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 25-25 ग्राम की चिक्की देने की व्यवस्था है। जिसमें से 64 जनपदों की 18470 शालाओं के 8,75,937 छात्रों को चिक्की वितरण प्रारंभ किया जा चुका है। शैक्षणिक वर्ष में कुल 100 दिन (सप्ताह में तीन दिन मंगल, गुरु, शनि) यह पौष्टिक चिक्की दी जा रही है। प्रत्येक चिक्की में 4.5 ग्राम प्रोटीन और 165 कैलोरी होती है। यह मात्रा कुपोषण मिशन में निश्चय ही सहायक होगी। मध्यान्ह भोजन विषयक योजना बहुत बारीकी से तैयार की गई है। इस योजना के पांच घटक हैं:- खाद्यान्न, भोजन पकाने की लागत राशि, रसोइये का मानदेय, खाद्यान्न का परिवहन तथा योजना पर नियंत्रण, मॉनीटरिंग और आकलन यानी एम.एम.ई.। खाद्यान्न यानी गेहूँ तथा चावल भारत सरकार से क्रमशः दो और तीन रुपये प्रति किलोग्राम की

दर से मिलता है। रसोइयों को एक हजार रुपये मानदेय का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश में पीएबी से अनुमोदित कुल 1,14,721 प्राथमिक तथा माध्यमिक शालायें हैं। प्राथमिक शालाओं की संख्या 84399 तथा माध्यमिक शालाओं की संख्या 30322 है। वर्ष 2016-17 में नामांकित विद्यार्थी 82,91,637 थे। पीएबी लक्ष्य 64,11,390 था। मध्यान्ह भोजन योजना से 60,31,401 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। समूची योजना 77058 स्वसहायता समूहों एवं 27 अशासकीय संस्थाओं (केन्द्रीयकृत किचन व्यवस्था) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

मध्यान्ह भोजन से बच्चों के लिये आवश्यक सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। प्राथमिक शालाओं के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 16.60 ग्राम प्रोटीन तथा 517 कैलोरी मिलती है। इसी प्रकार माध्यमिक शाला के विद्यार्थी को प्रतिदिन 20.60 ग्राम प्रोटीन तथा 720 कैलोरी मिलती है।

यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी बच्चों को पौष्टिक के साथ-साथ ताजा तथा स्वादिष्ट भोजन मिले। इस दृष्टि से सोमवार से शनिवार तक की खाद्य सूची (साप्ताहिक मेनू) बना ली गई है। यह गेहूँ-प्रचलन क्षेत्रों तथा चावल-प्रचलन क्षेत्रों के लिये पृथक-पृथक है।

मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की कुछ विशेषतायें हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय पाया गया है। पूरी व्यवस्था में सुनिश्चित किया गया है कि कोई निहित स्वार्थ न हो। सारा काम स्वसहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है। अधिकांश रसोइये स्वयं महिलायें हैं, इस योजना में अपने सांस्कृतिक पक्ष यानी अन्नपूर्णा और सीता-रसोई को जमीनी हकीकत बनाने का प्रयास किया है। हर स्तर पर भोजन की जांच-परख को भी सुनिश्चित किया है।

खाद्य-सूची यानी मीनू में विविधता, पौष्टिकता और स्वाद का अद्‌भुत सम्मिश्रण है। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित तालिकाओं से स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त गुणवत्ताओं को किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है।

● **घनश्याम सक्सेना**
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मेनू अनुसार प्रदान किये जाने वाले भोजन में विविधता के लिए साप्ताहिक विकल्प

गेहूँ-प्रचलन क्षेत्र :-

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	रोटी के साथ तुअर की दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी।
मंगलवार	पूरी के साथ खीर/हलवा और मूंगबड़ी व आलू टमाटर की सब्जी।
बुधवार	रोटी के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी।
गुरुवार	वेजीटेबल (सब्जी वाला) पुलाव और पकौड़े वाली कढ़ी।
शुक्रवार	रोटी के साथ मूंग की दाल और हरे या सूखे मटर/सूखे चने की सब्जी।
शनिवार	पराठा के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी।

चावल-प्रचलन क्षेत्र :-

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	चावल के साथ तुअर की दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी।
मंगलवार	पुलाव के साथ खीर/हलवा और मूंगबड़ी व आलू टमाटर की सब्जी।
बुधवार	चावल के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी।
गुरुवार	वेजीटेबल (सब्जी वाला) पुलाव और पकौड़े वाली कढ़ी।
शुक्रवार	चावल के साथ मूंग की दाल और हरे या सूखे मटर/सूखे चने की सब्जी।
शनिवार	नमकीन (बघरे) चावल के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी।

उपरोक्तानुसार प्रदाय किये जाने वाले भोजन के साथ सलाद/पापड़/चटनी भी प्रदान किया जाता है।

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा वीडियो कांफ्रेंस में दिए गए निर्देश

दिनांक 26.10.2017

1. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :

- जिन छात्रों की समग्र आईडी नहीं हो उनकी समग्र आईडी अभियान चलाकर एक सप्ताह में बनवाकर स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नाम दर्ज कराएं।
- स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल में मध्यान्ह भोजन हेतु अनुमत्य छात्र संख्या की तुलना में छात्र उपस्थिति अधिक हो तो स्कूलों का निरीक्षण करवाकर सत्यापन भेजकर राज्य समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से छात्र संख्या बढ़ाने हेतु अनुमति प्राप्त की जाए।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना :

- राजमिस्त्री प्रशिक्षण का CEO, ZP तथा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर RES (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) स्वयं पर्यवेक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
- 20 नवम्बर 17 को ग्रामीण आवास दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक विकास खण्ड में जिस ग्राम में सर्वाधिक आवास पूर्ण हुए हों, वहां उस ग्राम के हितग्राहियों को एकत्रित कर गृह प्रवेश कराकर आवास दिवस मनाया जाए। कार्यक्रम की फोटो 5 MP HD या अधिक के कैमरे से लेकर विकास आयुक्त को भेजें। कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रति विकास खंड राशि रुपये 25 हजार जनपद पंचायत के खाते में अंतरित की जाए।

3. पंच परमेश्वर :

- जिन ग्राम पंचायतों के खाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में हैं, वे यथाशीघ्र उन्हें बंद करवाकर सेन्ट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक आदि (जिस बैंक की शाखा निकट हो) में बैंक खाते खुलवाएं।
- पंचायिका के जून-जुलाई के संयुक्तांक को 12 अक्टूबर की VC के पूर्व प्रदेश मुख्यालय से संकलित कर सरपंचों को वितरित करना था। 24 जिलों ने पालन नहीं किया है।
- पंचायत सचिवों का वेतन निर्धारण एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत स्थानीय संपरीक्षा निधि द्वारा किया जा रहा है। कुछ जनपदों ने पंचायत सचिवों की सेवा पुस्तिका ऑडिट दल को प्रस्तुत नहीं की है। 30 नवम्बर 2017 तक शत-प्रतिशत सचिवों के वेतन निर्धारण का सत्यापन सनिश्चित किया जाए।
- सचिव की उपस्थिति के बावजूद भी जुलाई 2017 के पूर्व की अवधि का पंचायत सचिव का वेतन का भुगतान नहीं हुआ हो, तो उक्त अवधि के वेतन आहरण के लिए संबंधित सचिव की उपस्थिति की पुष्टि कर प्रकरण संचालक, पंचायत राज की अनुमति प्राप्त की जाए, जो गुणदोष पर दी जाएगी। संचालक की अनुमति उपरांत ऐसा वेतन पोर्टल से ही दिया जाएगा।
- भवन विहीन ग्राम पंचायतों की जानकारी 31 अक्टूबर 2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्पष्ट किया गया कि जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर अधोसंरचना कार्यों में टेंकर क्रय शामिल नहीं है।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्मित सामग्रियों (manufactured goods) का क्रय केवल GEM पोर्टल से ही किया जाए अन्यथा नहीं।

4. मनरेगा :

- जिन जिलों में वार्षिक लेबर बजट 2017-18 की तुलना में प्रगति 60 प्रतिशत से कम है, उन जिलों में कार्य योजना तैयार कर 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें। सभी जिले मजदूरों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें।
- जिन जिलों को सूखा घोषित किया गया है उनके वार्षिक लक्ष्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
- जुलाई 2017 में कराए गए वृक्षारोपण के पौधों का सत्यापन 12 से 17 नवम्बर 2017 के मध्य अभियान चलाकर कराया जाए।
- सत्यापन उपरान्त मृत पौधों को बदलने, निष्क्रिय पौधरक्षक बदलने तथा पौधरक्षक की जानकारी ऑनलाइन अद्यतन करने तथा data updation की कार्रवाई पूर्ण की जाए। परियोजना अधिकारी, नरेगा इस कार्य के लिये उत्तरदायी होंगे।
- उपरोक्त पृष्ठभूमि में वृक्षारोपण योजनाओं के तहत सामग्री एवं मजदूरी भुगतान के लिए निर्धारित तिथि 31.10.17 को बढ़ाकर 30.11.17 किया जाता है। भुगतान सत्यापन के पूर्व नहीं किया जाए।
- मोक्षधाम तथा खेल मैदान की गूगल शीट में जानकारी अद्यतन नहीं करने से समीक्षा नहीं की जा सकी। पुनरावृत्ति नहीं की जाए।
- नरेगा सामग्री भुगतान हेतु वेंडर पंजीयन हेतु टिन/पिन की अनिवार्यता नहीं है। सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों का आधार कार्ड के आधार पर वेंडर के रूप में पंजीयन किया जाए।
- आधार आधारित भुगतान की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये CEO, ZP जिले के लीड बैंक तथा अन्य बैंकों के साथ समन्वय कर आधार आधारित भुगतान में गति लायें। सभी मजदूरों के बैंक खातों को आधार से लिंक करने की कार्रवाई नवम्बर 2017 में शत-प्रतिशत पूर्ण की जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण

विकास आयुक्त कार्यालय
म.प्र. भोपाल

क्रमांक/13626/22/वि-7/पीएमएवाय-जी/2017-18 **भोपाल, दिनांक 13.11.2017**

आदेश

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्रियों के 45 दिवसीय प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एवं सर्टिफिकेशन आदि कार्यों के लिए महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारियों, संकाय सदस्यों को एक-एक जिले का नोडल अधिकारी बनाया जाता है। यह नोडल अधिकारी अपने जिले के जिला पंचायत एवं ग्रामीण सेवा के अधिकारियों से समन्वय कर राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न करायेंगे। अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों को निम्नानुसार जिलों का नोडल अधिकारी बनाया जाता है:-

क्र.	जिला	अधिकारी/संकाय सदस्य का नाम	पदनाम	प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र
1.	जबलपुर	श्रीमती प्रतिष्ठा जैन	मु.कार्य अधिक. जनपद पंचायत	म.गां.रा.ग्रा. वि. एवं पं.रा. संस्थान, जबलपुर
2.	कटनी	श्री जय कुमार श्रीवास्तव	प्रोग्रामर सह इंस्ट्रक्टर	म.गां.रा.ग्रा. वि. एवं पं.रा. संस्थान, जबलपुर
3.	नरसिंहपुर	श्री नीलेश कुमार राय	संकाय सदस्य	म.गां.रा.ग्रा. वि. एवं पं.रा. संस्थान, जबलपुर
4.	डिण्डोरी	श्रीमती वासंती दुबे	मु.कार्य अधिक. जनपद पंचायत	म.गां.रा.ग्रा. वि. एवं पं.रा. संस्थान, जबलपुर
		श्रीमती प्रतिमा शुक्ला	मु.कार्य अधिक. जनपद पंचायत	म.गां.रा.ग्रा. वि. एवं पं.रा. संस्थान, जबलपुर
5.	अनूपपुर	श्री एन.पी. गौतम	संकाय सदस्य	म.गां.रा.ग्रा. वि. एवं पं.रा. संस्थान, जबलपुर
6.	रीवा	डॉ. संजय कुमार राजपूत	संकाय सदस्य	म.गां.रा.ग्रा. वि. एवं पं.रा. संस्थान, जबलपुर
7.	शहडोल	श्री आशीष कुमार दुबे	प्रोग्रामर सह इंस्ट्रक्टर	म.गां.रा.ग्रा. वि. एवं पं.रा. संस्थान, जबलपुर
8.	सीधी	श्री त्रिलोचन सिंह	संकाय सदस्य	म.गां.रा.ग्रा. वि. एवं पं.रा. संस्थान, जबलपुर
9.	सिंगरौली	श्री पंकज राय	संकाय सदस्य	म.गां.रा.ग्रा. वि. एवं पं.रा. संस्थान, जबलपुर
10.	उमरिया	श्री सुरेन्द्र प्रजापति	संकाय सदस्य	म.गां.रा.ग्रा. वि. एवं पं.रा. संस्थान, जबलपुर
11.	ग्वालियर	श्रीमती उषा पी. शर्मा	प्राचार्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र ग्वालियर
12.	भिण्ड	श्री संजय जोशी	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र ग्वालियर
		श्री एन.के. पाठक	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र ग्वालियर
13.	दतिया	श्री के.एस. परमार	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र ग्वालियर
14.	श्योपुर	श्री आर.के. गौड़	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र ग्वालियर
15.	मुरैना	श्री संतोष भार्गव	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र ग्वालियर
		श्री ओ.पी.एस. कौरव	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र ग्वालियर
16.	शिवपुरी	श्री आर.के. मुन्द्रा	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र ग्वालियर
		श्री ललित चौधरी	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र ग्वालियर
17.	अशोकनगर	श्री आर.डी. कटरौलिया	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र ग्वालियर
18.	गुना	श्री राजीव दुबे	प्रोग्रामर सह इंस्ट्रक्टर	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र ग्वालियर
19.	उज्जैन	श्रीमती सीमा अग्रवाल	प्राचार्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र उज्जैन
20.	रतलाम	श्री बी.एल. परमार	सहायक संचालक	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र उज्जैन
21.	आगर मालवा	श्री संजय कुमार पाटिल	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र उज्जैन

क्र.	जिला	अधिकारी/संकाय सदस्य का नाम	पदनाम	प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र
22.	देवास	श्री जी.एस. लोहिया	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र उज्जैन
23.	शाजापुर	श्री व्ही.एस. नागर	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र उज्जैन
24.	मंदसौर	श्री शशांक भार्गव	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र उज्जैन
		श्री अरविन्द सोनगरे	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र उज्जैन
25.	नीमच	श्री अभिषेक नागवंशी	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र उज्जैन
26.	इंदौर	श्रीमती यशोधरा कनेश	प्राचार्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र इंदौर
27.	धार	श्रीमती उर्मिला पंवार	प्राचार्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र इंदौर
		श्री शिवकुमार सिंह	प्रोग्रामर सह इंस्ट्रक्टर	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र इंदौर
28.	खण्डवा	श्री चंद्रपाल सिंह चौहान	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र इंदौर
29.	झाबुआ	श्रीमती सुधा जैन	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र इंदौर
30.	बुरहानपुर	श्री तल्लीन बड़जात्या	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र इंदौर
31.	अलीराजपुर	श्री प्रकाश पुरकर	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र इंदौर
32.	बड़वानी	श्री चंद्रेश लाड़	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र इंदौर
33.	खरगौन	श्री सज्जन सिंह चौहान	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र इंदौर
34.	भोपाल	श्रीमती प्रीति गुप्ता	प्राचार्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र भोपाल
35.	सीहोर	श्री राजीव खरे	सहायक संचालक	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र भोपाल
36.	हरदा	श्री राजेश मेहदेले	सहायक संचालक	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र भोपाल
37.	रायसेन	श्री अशोक गोयल	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र भोपाल
38.	विदिशा	श्री राजेन्द्र पाराशर	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र भोपाल
39.	राजगढ़	श्री पंकज सिंह	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र भोपाल
40.	होशंगाबाद	श्री संजय आचार्य	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र भोपाल
		श्री आशीष सोनी	प्रोग्रामर सह इंस्ट्रक्टर	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र भोपाल
41.	छतरपुर	श्री श्रीगोपाल अग्रवाल	प्राचार्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र नौगाँव
42.	सागर	श्री आर.पी. खरे	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र नौगाँव
43.	दमोह	श्री झनक सिंह	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र नौगाँव
44.	टीकमगढ़	श्री नरेन्द्र कुमार रिछारिया	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र नौगाँव
45.	पन्ना			क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र नौगाँव
46.	सतना	कु. लवली मिश्रा	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र नौगाँव
47.	सिवनी	श्री आर.एस. खरोले	प्राचार्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र सिवनी
48.	छिंदवाड़ा	श्री मेहबूब खान	मु. कार्य अधिक. जनपद पंचायत	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र सिवनी
		श्री रविन्द्र पाल	प्रोग्रामर सह इंस्ट्रक्टर	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र सिवनी
49.	बालाघाट	श्री पी.डी. गुप्ता	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र सिवनी
50.	बैतूल	श्री सी.के. चौबे	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र सिवनी
51.	मण्डला	श्री विनोद सिंह	संकाय सदस्य	क्षे.ग्रा.वि. एवं पं.रा.प्र. केन्द्र सिवनी

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण

विकास आयुक्त कार्यालय
म.प्र., भोपाल

क्र. 10783/22/वि-7/पीएमएवायजी/17 **भोपाल, दिनांक 05.09.2017**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-समस्त
मध्यप्रदेश

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण बाबत।

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विकासखण्ड में प्रारंभ किया जायेगा।
2. प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखण्ड के एक ग्राम में 07 आवासों का चयन कर उन पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. प्रत्येक आवास पर पाँच राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
4. प्रत्येक पाँच प्रशिक्षु राज मिस्त्रियों पर एक डेमांस्ट्रेटर रहेगा।
5. यह डेमांस्ट्रेटर निम्नलिखित में से हो सकते हैं तथा सर्वप्रथम इन्हें दस दिवस का प्रशिक्षण देकर ट्रेनर्स का प्रमाणीकरण करवाया जायेगा। इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रत्येक डेमांस्ट्रेटर 05 प्रशिक्षु को प्रशिक्षण देगा। इन्हें प्रति दिवस राशि रु. 750/- मास्टर ट्रेनर के रूप में देय होगी।
   I. बी.एफ. प्रशिक्षण में उत्तीर्ण छात्र।
   II. आई.टी.आई. संस्थाओं द्वारा विगत पाँच वर्षों में सफल मेशन ट्रेड के छात्र।
   III. चार से छः वर्ष का अनुभव रखने वाले कुशल मिस्त्री।
6. प्रत्येक विकासखण्ड में प्रशिक्षण स्थल पर एक सुपरवाइजर रहेगा। यह सुपरवाइजर रिटायर्ड उपयंत्री या सहायक यंत्री हो सकता है। यह कान्ट्रेक्ट PMKSY में पदस्थ ब्लॉक अभियंता (जलग्रहण) भी हो सकते हैं। इनकी सूची जिले के कार्यपालन यंत्री द्वारा प्राप्त किया जाकर संभाग स्तर पर गठित तकनीकी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
7. संभाग स्तरीय समिति द्वारा Scrutiny कर योग्य अभियंता का चयन किया जावेगा। दिनांक 15.09.2017 तक चयनित अभियंता की जानकारी Google Sheet पर दर्ज करें।
8. क्रमांक 2, 3 एवं 4 की जानकारी के लिए Google Sheet ऑनलाइन कर दी गई है। कृपया दिनांक 08.09.2017 तक जानकारी भरने का कष्ट करें।

(हेमवती वर्मन)
संचालक
पीएमएवाय-जी
विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र., भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण

विकास आयुक्त कार्यालय
म.प्र., भोपाल

क्र. 10781/22/वि-7/पीएमएवायजी/17 **भोपाल, दिनांक 05.09.2017**

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण बाबत।

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में राज मिस्त्रियों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्रत्येक विकासखण्ड के एक ग्राम में प्रारंभ किया जा रहा है। प्रत्येक विकासखण्ड में एक ग्राम में 07 आवासों पर 35 राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण किया जायेगा। इस कार्य को सुपरवाइज करने के लिए प्रत्येक स्थल पर एक सुपरवाइजर रहेगा। यह सुपरवाइजर रिटायर्ड उपयंत्री या सहायक यंत्री हो सकता है। यह PMKSY में कॉन्ट्रेक्ट पर पदस्थ ब्लॉक अभियंता (जलग्रहण) भी हो सकते हैं। इन्हें 45 दिवसीय प्रशिक्षण को सुपरवाइज करते हुए समस्त प्रशिक्षुओं को एल-4 स्तर की परीक्षा में शत-प्रतिशत उत्तीर्ण कराना होगा। इस कार्य के लिए इन्हें एक मुश्त राशि रु. 40,000/- देय होगी। इनका चयन संभाग स्तर पर गठित तकनीकी कमेटी द्वारा किया जायेगा। कार्यपालन यंत्री का यह दायित्व होगा कि वे इच्छुक तथा योग्य सेवानिवृत सहायक यंत्री/उपयंत्री अधिकारियों की सूची प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस संभाग स्तरीय समिति में किन्हीं 02 जिलों के कार्यपालन यंत्री सदस्य रहेंगे। संबंधित संभाग के अधीक्षण यंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे। कृपया सभी संभागों में कमेटी का गठन कर तत्काल यह कार्यवाही संपादित करवायें। समिति द्वारा Scrutiny कर योग्य व्यक्तियों का चयन किया जावेगा। चयनित व्यक्तियों की जानकारी Google Sheet जो कि ऑनलाइन कर दी गई है, उसमें दिनांक 15.09.2017 तक दर्ज करने का कष्ट करें।

(हेमवती वर्मन)
संचालक
पीएमएवाय-जी
विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र., भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण

विकास आयुक्त कार्यालय
म.प्र., भोपाल

क्र. 307/22/वि-7/पीएमएवायजी/17 **भोपाल, दिनांक 6.09.2017**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - समस्त
मध्यप्रदेश

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण बाबत।

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण प्रत्येक ब्लॉक में एक ग्राम के 07 आवासों पर प्रारंभ किया जायेगा। प्रत्येक विकासखण्ड के एक ग्राम में 07 आवासों पर 35 राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक आवास पर एक डेमांस्ट्रेटर होगा। (बीएफटी/आईटीआई/कुशल मिस्त्री) डेमांस्ट्रेटर का चयन जिला स्तर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

1. अध्यक्ष - कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
2. सदस्य - सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा - 1
3. सदस्य - परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी/आवास प्रभारी

उपरोक्त समिति का गठन शीघ्र कराते हुए जानकारी गूगल शीट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(हेमवती वर्मन)
संचालक
पीएमएवाय-जी
विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र., भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत डेमांस्ट्रेटरों को प्रशिक्षण

विकास आयुक्त कार्यालय
म.प्र., भोपाल

क्र. 12780/22/वि-7/ग्रा.आ./17 **भोपाल, दिनांक 23.10.2017**

प्रति,

संचालक
एस.ए.टी.आई. विदिशा

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत डेमांस्ट्रेटरों (राज मिस्त्रियों के 45 दिवसीय प्रशिक्षण) का 10 दिवसीय प्रशिक्षण बाबत।

संदर्भ- कार्यालयीन पत्र क्रमांक-352 दिनांक 04.10.2017

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको बैतूल जिले के 02 विकासखण्ड एवं विदिशा जिले के 07 विकासखण्ड के डेमांस्ट्रेटरों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त जिलों के डेमांस्ट्रेटरों को एस.ए.टी.आई. विदिशा CSDCI नई दिल्ली मापदण्डों के अनुसार प्रशिक्षण देने में सक्षम नहीं होने के कारण एस.ए.टी.आई. विदिशा के स्थान पर आरआरडीटीसी भोपाल तथा सिवनी को प्रशिक्षण देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(हेमवती वर्मन)
संचालक
पीएमएवाय-जी
विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र., भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण

विकास आयुक्त कार्यालय
म.प्र., भोपाल

क्र. 12812/22/वि-7/ग्रा.आ./17 **भोपाल, दिनांक 24.10.2017**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-सीधी, शहडोल, बड़वानी, इन्दौर, खण्डवा,
खरगोन, भिण्ड, ग्वालियर, सीहोर, भोपाल, हरदा, छतरपुर,
टीकमगढ़, उज्जैन, शाजापुर एवं नीमच।

विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राज मिस्त्रियों के 45 दिवसीय प्रशिक्षण के संबंध में।

संदर्भ- कार्यालयीन पत्र क्रमांक-11123 दिनांक 12.09.2017 एवं पत्र क्रमांक-10783 दिनांक 05.09.2017

विषयांतर्गत लेख है कि संलग्न सूची अनुसार जिला तथा जनपद में उत्तीर्ण डेमांस्ट्रेटर की संख्या अंकित है। इस अनुक्रम में डेमांस्ट्रेटर को राशि रु. 750/- तथा प्रशिक्षु राज मिस्त्री को कलेक्टर दर से भुगतान किया जायेगा। इस हेतु उपरोक्त जनपदों के खातों में 18 दिवस की राशि अंतरित की जा रही है। प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति पंजी संधारित किया जावे। प्रत्येक जनपद पंचायत यह सुनिश्चित करे कि प्रति सप्ताह उपरोक्त निर्धारित दर से डेमांस्ट्रेटर एवं प्रशिक्षु मेसन का नियमित भुगतान उनके खातों में एफ.टी.ओ. के माध्यम से किया जावे। भुगतान की जानकारी Google Sheet पर प्रत्येक सप्ताह दर्ज करें। प्रशिक्षण प्रारंभ होने के तृतीय सप्ताह में प्रशिक्षण अवधि की शेष राशि जनपद पंचायत के खातों में अंतरित किया जावेगा।

(हेमवती वर्मन)
संचालक
पीएमएवाय-जी
विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र., भोपाल

ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ/22/पं-1/2017/124 **आदेश** **भोपाल, दिनांक 15.11.2017**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः- ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति।

म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के तहत नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में उसके परिवार के जीवन-यापन के उद्देश्य से उस पर आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा निम्न शर्तों के अधीन दी जाए:-

(1) मृत ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के तहत सीधी भर्ती अथवा आमेलन के तहत होकर नियुक्ति नियमित होना चाहिए।

(2) आवेदक मृतक पर आश्रित सदस्य होना चाहिए। निर्धारित अर्हता रखने वाले सदस्यों में से अनुकंपा नियुक्ति हेतु परस्पर वरीयताक्रम निम्नानुसार होगाः-

(i) मृतक की पत्नी - न्यूनतम आयुसीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

(ii) मृतक का वयस्क पुत्र अथवा वयस्क अविवाहित पुत्री- ज्येष्ठता के क्रम से।

(iii) मृतक के अविवाहित भाई अथवा बहन- ज्येष्ठता के क्रम से।

(3) अनुकंपा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 अनुसार होगी। इन नियमों के तहत शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार होना आवश्यक हैः-

(i) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण एवं

(ii) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित/प्राधिकृत संस्था से कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण-पत्र।

(4) निम्न परिस्थितियों में मृतक के आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगीः-

(i) आवेदक द्वारा उपरोक्त कंडिका (3) अनुसार शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने की दशा में।

(ii) आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य के शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय संस्था में नियमित सेवा में अथवा 5 वर्ष या अधिक अवधि से संविदा सेवा में कार्यरत होने की दशा में।

(iii) जिले के भीतर किसी भी ग्राम पंचायत में सचिव का कोई भी पद रिक्त नहीं होने की दशा में।

(5) अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी। यदि मृतक पर आश्रित परिवार में कोई सदस्य उक्त शैक्षणिक अर्हताधारी न हो तो इस अवधि में उसे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारित कर पात्रता अर्जित करना होगी। नियुक्ति आदेश पात्रता धारित करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा।

(6) अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव के आश्रित परिवार के सदस्य को सादे कागज पर संलग्न प्रपत्र में उसी जिला पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में मृत सचिव कार्यरत था।

(7) अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सक्षम अधिकारी होगा।

(8) अनुकंपा नियुक्ति प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की दशा में म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के तहत पात्रता अनुसार नियमित वेतनमान दिया जाएगा।

(9) म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 की अनुसूची-एक के नियम 4 एवं अनुसूची-एक के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव को नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष के लिए मानदेय रु. 1600/- नियत और यात्रा भत्ता रु. 250/- प्रतिमाह देने का प्रावधान है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमों में संशोधन की प्रत्याशा में रु. 10,000/- मासिक का मानदेय परिवीक्षा अवधि के लिए दिया जाए।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का कर्मचारी होकर जिला संवर्ग का होने के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन का कर्मचारी नहीं है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दि. 29 सितंबर 2014 के अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में लागू नहीं हैं।

3. यह आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावशील होगा।

संलग्न- आवेदन का प्रारूप

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शमीम उद्दीन)
उप सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/एफ/22/पं-1/2017/125 **भोपाल, दिनांक 15.11.2017**

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. संचालक, पंचायत राज संचालनालय।
3. संभागायुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष/जनपद अध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
6. मैनेजर विभागीय वेबसाइट/पंचायिका।

उप सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रपत्र

सचिव ग्राम पंचायत के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. (क) मृत ग्राम पंचायत सचिव का पूर्ण नाम .....
   (ख) मृत ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु का दिनांक .....
   (ग) कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व मृत ग्राम पंचायत सचिव पदस्थ था .....
2. (क) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम .....
   (ख) मृत ग्राम पंचायत सचिव से संबंध .....
   (ग) स्थाई पता .....
   (घ) वर्तमान पता .....
   (ङ) जन्मतिथि ..... अंकों में .....
   शब्दों में .....
   (च) आयु .....
   (छ) धर्म .....
   (ज) जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तो स्पष्ट रूप से दर्शायें) .....
   (झ) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण .....
   (ण) अन्य अर्हताओं का विवरण .....
3. (क) मृत ग्राम पंचायत सचिव के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु सहमतिः-

स. क्र.	परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम	आयु	मृत ग्राम पंचायत सचिव के साथ संबंध	यदि सेवारत हो तो उसका विवरण सेवा है शासकीय/अर्द्ध शासकीय या निजी सेवा	आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति/असहमति एवं हस्ताक्षर	टीप
1	2	3	4	5	6	7

घोषणा-पत्र

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पाई जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।
2. मैं यह भी वचन देता हूं/देती हूं कि मैं स्व. श्री ..... (मृत ग्राम पंचायत सचिव का नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करूंगा/करूंगी, बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

स्थानः- .....

दिनांकः- .....

आवेदक के हस्ताक्षर

ग्रामीण क्षेत्रों में आधार लिंकेज अनिवार्य

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 89/अमुस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 28.10.2017**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः- ग्रामीण क्षेत्रों में आधार लिंकेज की अनिवार्यता-समग्र से आधार लिंकेज।

भारत सरकार द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को देने के लिए आधार कार्ड लिंकेज की अनिवार्यता की पृष्ठभूमि में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र डाटाबेस को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवार/व्यक्ति के समग्र डाटाबेस को अद्यतन करने एवं उनके आधार कार्ड से लिंकेज करने के 15 नवंबर से 30 नवंबर 2017 तक प्रदेश भर में अभियान चलाया जाए। उक्त अभियान के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिए जाते हैं-

1. प्रशासनिक व्यवस्था-

1.1 जिला स्तर पर कलेक्टर एवं विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभियान संचालित कराएं।

1.2 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को क्लस्टर अधिकारी क्लस्टर के ग्रामों में अभियान संचालन का समन्वय करें।

1.3 प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पीसीओ/एडीओ में से एक व्यक्ति को नामजद समन्वयक बनाया जाए।

1.4 प्रत्येक ग्राम में 50 परिवारों के लिए पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह की मुखिया आदि में से किसी एक को नाम निर्दिष्ट कर 50 परिवार की इकाई की जिम्मेदारी दी जाए।

1.5 प्रत्येक 50 परिवार के लिए निर्दिष्ट उक्त व्यक्ति उसके प्रभार के प्रत्येक परिवार के घर में जाकर निम्न कार्यवाही करें-

(i) प्रत्येक ग्राम के लिए उक्त बिंदु 1.4 अनुसार तैनात समन्वयक से समग्र डेटाबेस की मुद्रित प्रति प्राप्त करें।

(ii) घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार के सदस्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर समग्र डेटाबेस की उक्त मुद्रित प्रति को अद्यतन करें।

(iii) स्मार्टफोन से प्रत्येक व्यक्ति के आधार कार्ड की फोटो लें ताकि उसके आधार पर क्लस्टर अधिकारी समग्र डाटाबेस में संशोधन हेतु डाटा एंट्री करा सकें।

(iv) प्रभार के 50 परिवारों के जिन सदस्यों का आधार कार्ड नहीं हो उनकी जानकारी उक्त ग्राम समन्वयक के माध्यम से क्लस्टर अधिकारी को उपलब्ध कराएं ताकि उनके आधारकार्ड दिसंबर माह में अभियान चलाकर बनाए जा सकें।

2. वित्तीय व्यवस्था-

2.1 वर्तमान समग्र डाटाबेस की मुद्रित प्रतियां निकालने के लिए प्रति ग्राम रु. 100 के मान से जनपद पंचायत को स्टेशनरी व्यय संचालक, पंचायत राज द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

2.2 समग्र डाटाबेस अद्यतन करने एवं आधार कार्ड लिंकेज के लिए उक्त बिंदु 1.4 के तहत तैनात व्यक्ति को निम्नानुसार मानदेय

दिया जाएगाः-

(i) 80 प्रतिशत या कम आधार लिंकेज की स्थिति में कोई मानदेय देय नहीं।

(ii) 80 से 99 प्रतिशत तक आधार लिंकेज की दशा में रु. 1 प्रति सदस्य की दर से मानदेय दिया जाएगा।

(iii) शत-प्रतिशत सदस्यों के समग्र डाटाबेस का अद्यतिकरण एवं आधार कार्ड लिंकेज कराने पर रु. 2 प्रति व्यक्ति की दर से मानदेय दिया जाएगा।

(iv) 50 परिवार की इकाई के समग्र डाटाबेस की जानकारी अद्यतन करने और उनके आधार कार्ड लिंकेज के संबंध में त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रदाय की जाती है, तो 2 से अधिक त्रुटि पाई जाने की दशा में कोई मानदेय देय नहीं होगा।

3. सत्यापन-

3.1 ग्राम स्तर से प्राप्त जानकारी का रेण्डम पद्धति से क्लस्टर अधिकारी सत्यापन कराएंगे। सत्यापन पर पाई त्रुटि का सुधार कराने के उपरांत प्रति त्रुटि सुधारी गई प्रति समग्र प्रविष्टी के लिए रु. 5/- का मानदेय क्लस्टर अधिकारी के विकल्प पर वितरण हेतु दिया जाएगा।

3.2 क्लस्टर/विकासखण्ड स्तर पर समग्र डाटाबेस के अद्यतिकरण एवं आधार कार्ड लिंकेज की डाटा एंट्री के लिए प्रति समग्र प्रविष्टी 50 पैसे के मान से मानदेय देय होगा। लेकिन प्रति एंट्री में एक भी त्रुटि पाई जाने की दशा में मानदेय की राशि शून्य होगी।

2. उक्त मानदेय के लिए धनराशि संचालक, पंचायत प्रदाय करेंगे।

3. आपसे अनुरोध है कि समग्र डाटाबेस अद्यतन करने और उनका आधार लिंकेज करने के अभियान को नेतृत्व देकर सफल बनाने का कष्ट करें।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत भवन एवं शांतिधाम के निर्माण में चरणवार भुगतान

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 59, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक 7574/MGNREGS/एनआर-3/तक./2017 **भोपाल, दिनांक 27.10.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला- समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत - समस्त
   मध्यप्रदेश

विषयः- आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत भवन एवं शांतिधाम के निर्माण में चरणवार भुगतान हेतु मजदूरी-सामग्री मद की राशि का निर्धारण।

विषयांतर्गत विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 6967/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 भोपाल दिनांक 01.06.2017 से आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, शांतिधाम निर्माण के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। नरेगा मद की राशि के भुगतान हेतु मजदूरी के मानव दिवस एवं सामग्री मद की राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

राशि रु. लाख में

भवन का नाम	मानक लागत	नरेगा अंश	सामग्री	मजदूरी मानव दिवस
आंगनवाड़ी भवन	7.80	3.12	1.248	1088
ग्राम पंचायत भवन	14.48	5.792	2.317	2020
शांतिधाम टाईप-1	1.80	1.80	1.349	262
शांतिधाम टाईप-2	2.45	2.45	1.837	356

(जी.व्ही. रश्मि)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों, समुदाय सदस्यों को प्रदाय मानदेय/भोजन राशि भत्ता

मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 7040/MP-DAY-SRLM/IBCB/53 (Part-2)/2017 **भोपाल, दिनांक 08.11.2017**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत
   जिला-समस्त (म.प्र.)
2. जिला परियोजना प्रबंधक
   जिला मिशन प्रबंधन इकाई
   म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
   जिला-समस्त (म.प्र.)

विषयः- सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों (CRPs) /समुदाय सदस्यों को प्रदाय किये जाने वाले मानदेय/भोजन राशि भत्ता आदि के संबंध में।

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित समुदाय आधारित संगठनों के सदस्यों यथा-स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन, जनपद संगठन, उत्पादक कंपनी आदि के सदस्यों की सेवाएं समय-समय पर ली जाती हैं, उन्हें प्रदाय किये जाने वाले भत्ते/भोजन राशि/मानदेय की दरें एवं भुगतान प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-

(क) मिशन/शासकीय कार्य से कार्यालय द्वारा भेजे जाने पर संबंधित के स्थान से आने-जाने के लिये शासकीय व्यवस्था न कराये जाने की स्थिति में बस/रेल द्वारा साधारण/स्लीपर का वास्तविक प्रचलित यात्रा व्यय,

(ख) विकासखण्ड/संकुल/ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान भोजन/स्वल्पाहार की व्यवस्था हेतु प्रति दिवस प्रति प्रतिभागी रु. 150/- तक का प्रावधान,

(ग) विकासखण्ड/संकुल स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों के आवास यदि शासकीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो रु. 100/- प्रति दिवस प्रतिभागी,

(घ) प्रशिक्षण/एक्सपोजर/अन्य शासकीय/मिशन कार्य हेतु रात्रि विश्राम होने पर प्रति रात्रि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में देय अकुशल श्रमिक की दर से मानदेय का भुगतान,

(ङ) **मिशन अंतर्गत सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों का मानदेयः-**

i. समूह बुककीपर को राशि रु. 50/- पारिश्रमिक प्रति समूह प्रति बैठक समूह गठन के प्रारंभिक एक वर्ष तक मिशन द्वारा सहयोग किया जावेगा, तदुपरांत निर्धारित राशि समूह की आय से देय होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति निम्नानुसार होगीः-

बुक-कीपर के कार्यों का मूल्यांकन, समीक्षा एवं मानदेय भुगतान की प्रक्रिया

(अ)

0 से 3 माह की एसएचजी हेतु	3 से 6 माह की एसएचजी हेतु	6 माह से अधिक की एसएचजी हेतु
रु. 10/- प्रति समूह प्रति बैठक	रु. 20/- प्रति समूह प्रति बैठक	रु. 50/- प्रति समूह प्रति बैठक

(ब)

समूह बैठक प्रक्रिया में सहयोग एवं VO बैठक हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना, आवश्यकतानुसार माइक्रो प्लान तैयार करने में सहयोग	बैठक विवरणी एवं लेन-देन (रोकड़ बही) पूर्ण करने पर	बचत/ऋण पुस्तिका एवं सदस्य पासबुक पूर्ण करने पर	खाता-बही लिखने पर
20 प्रतिशत	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत	20 प्रतिशत

ii. प्रशिक्षण प्रदाय करने का पारिश्रमिक रु. 150/- प्रति दिवस। यह दर सीआरपी ड्राईव अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षणों की स्थिति में देय नहीं है। अपने ग्राम से अन्य ग्रामों में जाने के लिये साधारण बस/रेल स्लीपर का वास्तविक यात्रा व्यय।

iii. आवासीय प्रशिक्षण में शासकीय भवन/मिशन द्वारा व्यवस्था उपलब्ध न होने की स्थिति में ग्राम में रुकने के लिये मकान व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्री जैसे- बर्तन, बिस्तर आदि उपलब्ध कराया जा सकता है,

iv. ग्राम संगठन बुककीपर को लेखा संधारण कार्य हेतु न्यूनतम राशि रु. 600/- से 800/- तक प्रतिमाह। प्रत्येक ग्राम संगठन हेतु एक प्रशिक्षित बुक कीपर का होना अनिवार्य है, यह अनुपात 1:1 रखा जाना है। जिन ग्राम संगठनों में बुक कीपर हेतु उपयुक्त महिला अनुपलब्ध हो उस स्थिति में निकटस्थ ग्राम संगठन की बुक कीपर अधिकतम 2 ग्रामों के ग्राम संगठन हेतु लेखा संधारण का कार्य कर सकेगी, किन्तु यह निर्देश पहुँचविहीन दुर्गम ग्रामों हेतु राज्य कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रभावी होगी। अनुमोदन उपरांत यदि एक ग्राम संगठन सखी द्वारा 2 ग्रामों में कार्य करने पर परिवहन व्यय हेतु राशि रु. 100/- प्रतिमाह अतिरिक्त भुगतान की पात्रता होगी। एक ग्राम संगठन सखी 2 से अधिक ग्रामों में कार्य नहीं कर सकेगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रारंभ के तीन महीनों तक ग्राम संगठन द्वारा प्रत्येक महिला सीआरपी को राशि रु. 600/- प्रति माह के मान से भुगतान किया जावेगा।

मिशन द्वारा प्रतिपूर्ति निम्नानुसार कार्य अनुसार देय होगी :-

माह में आयोजित बैठकों में उपस्थिति एवं बैठक प्रक्रिया में सहयोग, मासिक प्रगति प्रतिवेदन- (MPR DCB & MONTHLY TRANSACTION SHEET), लेखा/अन्य रिकार्डों का संधारण, प्रतिवेदन तैयार करना, कमजोर समूहों को सशक्त करना, आवश्यकतानुसार आवेदन तैयार करना, न्यूनतम 5 समूहों के लेखा संधारण का अनुश्रवण बुक-कीपर का क्षमतावर्धन एवं मानदेय की समीक्षा आदि में सहयोग करने पर राशि रु. 600/- से राशि रु. 800/-, उपरोक्तानुसार कार्य के गुणात्मक आकलन सूचकों के आधार पर मानदेय भुगतान का प्रतिशत निम्नानुसार होगा:-

50 प्रतिशत	51 से 79 प्रतिशत	80 से 100 प्रतिशत
रु. 600/-	रु. 700/-	रु. 800/-

मिशन द्वारा ग्राम संगठन को मानदेय की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार होगी:-

योगदान	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
ग्राम संगठन	0 प्रतिशत	10 प्रतिशत+ यात्रा व्यय	30 प्रतिशत+ यात्रा व्यय	60 प्रतिशत+ यात्रा व्यय	100 प्रतिशत+ यात्रा व्यय
मिशन	100 प्रतिशत+ यात्रा व्यय	90 प्रतिशत	70 प्रतिशत	40 प्रतिशत	0 प्रतिशत

v. कम्यूनिटी मास्टर ट्रेनर (विषय आधारित) को पारिश्रमिक रु. 1,500/- प्रतिमाह (केवल आवश्यकता होने पर ही उन्हें लिया जाए), एक कम्यूनिटी मास्टर ट्रेनर वर्ष में 6 माह से अधिक का पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

मास्टर ट्रेनर के कार्यों के मूल्यांकन समीक्षा एवं मानदेय भुगतान की प्रक्रिया

मास्टर ट्रेनर द्वारा उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम संगठन एवं समूहों के लेखों का अनुश्रवण एवं अद्यतन करवाना

50 प्रतिशत से कम	50 से 80 प्रतिशत	81 से 100 प्रतिशत
रु. 750/-	रु. 1,000/-	रु. 1,500/-

vi. मिशन अंतर्गत सभी बैंकों की शाखाओं में कार्यरत बैंक सखी को प्रतिमाह अधिकतम राशि रु. 1,500/- के पारिश्रमिक के आधार पर ली जा सकती हैं। इनका भुगतान प्रथम एक वर्ष के लिए मिशन द्वारा किया जावेगा।

vii. आंतरिक सीआरपी (Internal CRP) एवं पी.आर.पी., जिसमें संकाय आधारित कृषि, पशु, वन, उद्यम तथा ई-सीआरपी आदि को मिशन के कार्य हेतु जिले के कुशल श्रमिक के मानदेय की राशि पूर्ण दिवस कार्य होने पर प्रतिदिवस दर अनुसार का भुगतान मिशन द्वारा किया जावेगा जो कि 10 दिवस प्रति सीआरपी प्रतिमाह अनुसार ही होगा।

राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर/संकुल स्तर/ग्राम स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.	व्यय मद	जिला स्तर	विकासखण्ड स्तर/संकुल स्तर/ग्राम स्तर
1.	प्रशिक्षण कक्ष व्यय- (प्रतिदिवस)	नियमानुसार शासकीय भवन अथवा सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र	
2.	भोजन व्यय (प्रति दिवस/प्रति प्रतिभागी)	रु. 150/-	रु. 150/-
3.	स्टेशनरी जैसे- पेन, पेड/फोल्डर एवं फोटोकॉपी व्यय आदि (प्रति प्रतिभागी)	रु. 100/-	रु. 100/-
4.	आवास व्यय (प्रति दिवस/प्रति प्रतिभागी)	आवास हेतु यदि शासकीय/ सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध नहीं है तो रुपये 100/- (प्रति दिवस/प्रति प्रतिभागी)	रु. 100/-
5.	यात्रा व्यय	साधारण बस किराया, रेल का स्लीपर क्लास वास्तविक व्यय के आधार पर	

उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण ही अधिकतम सीमा है।

नोट :

1. सीआरपी को प्रशिक्षण एवं आंतरिक सीआरपी राउण्ड में भोजन व आवास की पात्रता सामुदायिक सदस्यों के अनुरूप होगी।
2. समस्त सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों को भुगतान ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम/अनुशंसा पर होगा। कोई भी सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति आजीविका मिशन के कर्मचारी नहीं होते हैं/नहीं होंगे एवं यह किसी प्रकार का रोजगार नहीं है।
3. विविध प्रकार की सेवाओं हेतु समस्त अनुबंध संकुल स्तरीय संगठनों द्वारा किए जावेंगे।
4. संकुल स्तरीय संगठन स्वतः निर्धारित कर रेट बैंक तय कर सकते हैं।

(विकास अवस्थी)
अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी